G मैदानी भाग), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), जिला हरिद्वार एवं जिला उधमसिंहनगर के सम्पूर्ण भाग सम्मलित हैं।

8- राज्य के नदी तल में साधारण बालू, बजरी, बोल्डर क्षेत्र तथा स्वस्थानें चट्टान युक्त रिक्त उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) क्षेत्रों की ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रक्रिया में 5.00 है0 तक क्षेत्रफल के खनन लाट जनपद के स्थायी निवासी या स्थायी निवासियों की समिति, जो कोआपरेटिव सोसाईटी एक्ट में पंजीकृत हो, 5.00 है0 से 50.00 है0 तक क्षेत्रफल के खनन लाट राज्य के स्थायी निवासी/स्थायी निवासियों की समिति जो कोआपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट/कम्पनीय ऐक्ट अथवा पार्टनरशिप ऐक्ट एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा 50.00 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन लाट भारतीय नागरिकों/कम्पनियों/फर्मों/सोसाइटी आदि को आवंटित किये जायेंगे।

9- नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू, बजरी, बोल्डर हेतु उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के प्रथम अनुसूची में निर्धारित रायल्टी की दर का 50 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों हेतु लागू होगी।

10- खनिजों की निकासी वार्षिक निर्धारित मात्रा के अनुसार अग्रिम मूल्य जमा कर ई–रवन्ना के माध्यम से की जायेगी। इस हेतु पट्टाधारक को भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के ई–रवन्ना वेब एप्लिकेशन पर आन लाईन पंजीकरण कराया जाना होगा।

11- खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली निजी भूमि के भूस्वामी को उसकी भूमि के क्षेत्रफल पर अनुमत गहराई के सापेक्ष आगणित मात्रा पर प्रतिटन निर्धारित नीलामी धनराशि से गुणाकर प्राप्त धनराशि का 10 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के रूप में पट्टाधारक द्वारा देय होगा। किसी भी वाद की स्थिति में पट्टाधारक द्वारा प्रतिपूर्ति धनराशि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी जिसका वितरण राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित किये जाने उपरान्त राजस्व विभाग के माध्यम से किया जायेगा व निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को सूचित किया जायेगा।

12- खनिज निकासी हेतु उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट रायल्टी की दर के अतिरिक्त निम्न देयकों का भुगतान किया जाना होगा :–

(क) रिवर ट्रेनिंग शुल्क (रायल्टी का 15 प्रतिशत)
(ख) क्षतिपूर्ति (रायल्टी का 10 प्रतिशत)
(ग) विकास शुल्क एवं रोड शुल्क (रायल्टी का 15 प्रतिशत)

13- पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन (DMF) शुल्क आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

14- खनिजों की निकासी निदेशक द्वारा निर्धारित वार्षिक मात्रा के अनुसार अग्रिम मूल्य जमा कर ई–रवन्ना के माध्यम से की जायेगी।

15- पट्टाधारक द्वारा 01 वर्ष की निर्धारित मात्रा समय से पूर्व ही निकासी किये जाने की दशा में उक्त वर्ष में अग्रेत्तर कार्यवाही स्थगित रहेगी।

16- पट्टा धारक स्वीकृत चुगान/खनन पट्टा के निकासी गेट पर स्वयं के व्यय से कम्प्यूटराइज्ड धर्मकांटा एवं वाहनों के प्रदेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे संबंधित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के

G (अधिसूचना संख्या 1582, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 द्वारा संशोधित

G परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई–प्रपत्र एम0एम0–11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखनें की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एंव सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकर्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम 66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।

17- पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई–एम0एम0–11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई–एम0एम0–11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हे सही एंव चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली, 2001 के नियम 59 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।

18- **H** नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में जे0सी0बी0, पोकलैण्ड सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नहीं किया जायेगा;

परन्तु वर्तमान में कोरोना वायरस **(COVID-19)** के संक्रमण के कारण अत्यन्त विषम परिस्थिति में चुगान कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा में श्रमिक उपलब्ध न होने, श्रमिकों को अधिक मात्रा में डवइपसप्रम किये जाने से कोरोना वायरस **(COVID-19)** के संक्रमण को फैलने से रोकने आदि के दृष्टिगत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** द्वारा प्रदत्त सशर्त सहमति के क्रम में 100 है0 तक के नदी तल उपखनिज क्षेत्र, जिनमें पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है, उन नदी तल क्षेत्र से उपखनिज के खनन/चुगान हेतु चुगान क्षेत्र के स्थान, उपखनिज की मोटाई, निक्षेपित होने वाली उपखनिज की मात्रा को देखते हुए **Light semi mechanized** तरीके से दिनांक 15 जून, 2020 तक चुगान किये जाने की अनुमति होगी, प्रतिबन्ध यह कि यह परन्तुक दिनांक 07.05.2020 से दिनांक 15.06.2020 तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा।"

19- **G** स्वीकृत क्षेत्र के निकासी गेट पर पट्टाधारक का नाम व पता, पट्टाधारक का संपर्क/दूरभाष नं0, स्वीकृत क्षेत्रफल, स्वीकृत मात्रा, पट्टे की अवधि तथा खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।

20- पट्टाधारक पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance) एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रिया सम्पादित करेगा।

21- स्वीकृत खनिज क्षेत्र से खनिज निकासी किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish एवं Consent to operate प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।

22- ई–निविदा सह ई–नीलामी द्वारा उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) खनन पट्टा स्वीकृति की उपरोक्त प्रक्रिया के कियान्वयन के संबंध में बोलीदाता के असंतुष्ट होने की दशा में ऐसे बोलीदाता द्वारा अपील शुल्क रू0 5,000.00 का भुगतान विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करा कर शासन में अपील की जा सकेगी।

23- पट्टाधारक द्वारा खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 (समय–समय पर यथासंशोधित), उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित), मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों/दिशा निर्देशों तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

G (अधिसूचना संख्या 1582, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 द्वारा संशोधित)

H (अधिसूचना संख्या 670,दिनांक 09 जून, 2020 द्वारा संशोधन)

24- G ई निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया के दौरान ऐसा प्रकरण जिसका उल्लेख इस शासनादेश में वर्णित किया जाना रह गया हो अथवा पूर्णतः स्पष्ट न किया जा सका हो ऐसे प्रकरणों पर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, को अन्तिम निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई तत्सम्बन्धी।

25- अन्य शासनादेशों/ अनुदेशों का अनुसरण कर व्याख्यापित करते हुये निर्णय दे सकेगा, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई का निर्णय अन्तिम होगा एवं सर्व पक्षों को मान्य होगा।

30–पट्टा का रजिस्टर :

खनन पट्टों का एक रजिस्टर जिला अधिकारी एवं जिला खान अधिकारी के कार्यालय में प्रपत्र एम0एम0 7 में रखा जायेगा और उसकी एक प्रतिलिपि जिला खान अधिकारी द्वारा निदेशक , भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई , उद्योग निदेशालय , उत्तराखण्ड को भेजी जायेगी।

अध्याय –5
खनन पट्टे की शर्तें

31– इस अध्याय में उल्लिखित शर्तें सभी पट्टों में लागू होगी :

(1) प्रत्येक खनन पट्टा इस अध्याय में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा, जिन्हें इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे में समाविष्ट कर लिया गया समझा जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि नियम 46 एवं 47 के उपबन्ध इस नियमावली के अध्याय 4 में निहित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत पट्टों पर लागू नहीं होंगे।

32– अन्य खनिजों की खोज :

(1) पट्टेदार, पटटे पर दिये गये क्षेत्र में किसी ऐसे खनिज की सूचना, जो पटटे में निर्दिष्ट न हो, राज्य सरकार को उक्त खोज के दिनांक से तीस दिन के भीतर देगा।

(2) यदि पट्टे पर दिये गये क्षेत्र में किसी ऐसे खनिज का पता चला जाये, जो पट्टे में निर्दिष्ट न हो तो, पट्टेदार खनिज को तब तक लब्ध (win) और उसका निस्तारण नही करेगा जब तक कि उसके लिये पृथक पट्टा न ले लिया जाये।

33– विदेशी राष्ट्रिक सेवायोजित नही किया जायेगा :

राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना पट्टेदार खनन संक्रियाओं के सम्बन्ध में किसी ऐसे व्यक्ति को सेवायुक्त नही करेगा जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।

34– खनन संक्रियाओं छः मास के भीतर प्रारम्भ होगी :

(1) सिवाय उस दशा मे जब राज्य सरकार पर्याप्त कराणों से अन्यथा अनुमति दे, पट्टेदार पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से छः मास के भीतर खनन संक्रियायें प्रराम्भ और तत्पश्चात जानबूझकर आंतरायनिक (इंटरमिशन) किये बिना ऐसी संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्व रीति से तथा कुशल कारीगर की भांति करेगा।

(2) स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप के सम्बन्ध में खनन संक्रियाओं, निदेशक द्वार सम्यक रूप से अनुमोदित योजना के अनुसार जिसमें वार्षिक विकास योजनाओं का ब्यौरा होगा, की जायेगी।

(3) उपनियम (2) में अभिदिष्ट खनन योजना खान और खनिज (विनियन और विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन बनाये गये खनिज रियायत नियमावली 1960 के उपबंधों के अनुसार भारतीय खान ब्यूरों से तदर्थ मान्यता प्राप्त अर्ह किसी व्यक्ति द्वारा तैयार की जायेगी।

G (अधिसूचना संख्या 1582, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 द्वारा संशोधित)

(4) पट्टेदार खनन योजना को अनुमोदन हेतु निदेशक को प्रस्तुत करेगा, जो खनन योजना की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर उसे अनुमोदित कर सकता है, उपान्तरित कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। ऐसा करने में विफल रहने पर खनन योजना प्रथम वर्ष के लिये अनुमोदित समझी जायेगी।
स्पष्टीकरण :– इस नियम के प्रयोजनों के लिये खनन संक्रिया के अन्तर्गत खान से कार्य के सम्बन्ध में मशीनों का लगाना, ट्रामवे बिछाना और बिछाना और सडक का निर्माण भी है।

35–सीमा चिन्ह खड़ा करना और उसका अनुरक्षण :
पट्टेदार, पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र सर्वेक्षण और सीमांकन के पश्चात और पट्टा विलेख निष्पादित करने के पूर्व, अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्भे को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शें में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिये आवश्यक हो और उनका सदैव अनुरक्षण करेगा और अच्छी दशा में रखेगा।

36– खनिजों का ठीक–ठीक लेखा रखना :
पटटेदार ठीक–ठीक लेखा रखेगा, जिसमे वह खान (**Mine**) से प्राप्त तथा भेजे गये सभी खनिजों की मात्रा तथा अन्य विवरण देगा और साथ ही परिवहन की प्रणाली वाहन का निबन्धरा (रजिस्ट्रेशन) संख्या वाहन या पशु को प्रभारी व्यक्ति तथा ढोये गये खनिज का प्रकार और मात्रा, खनिज की सभी बिक्री के मूल्य तथा समस्त अन्य विवरण, उसमें सेवा युक्त व्यक्तियों की संख्या और राष्ट्रीयता तथा खान के पूरे नक्शे देगा, और केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी समय उसके (पट्टेदार) द्वारा रखे गये किन्ही लेखों नक्शों और अभिलेखों का परीक्षण करने की अनुमति देगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार को ऐसी समस्त सूचना तथा विवरणियां देगा जो केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा उसमें से किसी के द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी अपेक्षा करे।

37– खाइयों, गडढों आदि का अभिलेख रखना :–
पट्टेदार, पट्टे के अधीन अपने द्वारा की गयी खनन संक्रियाओं के दौरान में अपने द्वारा खोदी गयी खाइयों, गडढों और बरमा में वनाये गये सूराखों (**Drillings**) का ठीक–ठीक अभिलेख रखेगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उनका निरीक्षण करने की अनुमति देगा। ऐसे अभिलेखों में निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात
(क) वह अधोभूमि (Sub soil) और भूगर्भ स्तर (strata) जिसमें होकर किसी ऐसी खाईयां गडढे खोदे जायें या बरमें से सूराख किये जायें।
(ख) कोई खनिज जो प्राप्त हो।
(ग) ऐसे अन्य विवरण जिसकी केन्द्रीय या राज्य सरकार समय–समय पर अपेक्षा करें।

38– पट्टेदार द्वारा मजबूत करना, टेक आदि लगााना :
पट्टेदार यथास्थिति संबद्व रेलवे प्रशासन या राज्य सरकार के संतोषानुसार, खान के किसी ऐसे भाग को मजबूत करेगा और उसमें टेक लगायेगा (strength & support) जिसे ऐसे प्रशासन या सरकार की राय में किसी रेल, जलाशय, (reservoir) नहर, सड़क या किसी अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य या भवनों की सुरक्षा के लिये इस प्रकार मजबूत करना या उसमें टेक लगाना आवश्यक हो।

39– अग्रक्रयाधिकार (हकशक) :

(1) राज्य सरकार को सदा ऐसी भूमि से जिसके सम्बन्ध में पट्टा दिया गया हो, लब्ध खनिजों या खनिजों के उत्पादन का अग्रक्रयाधिकार (right of pre-emption) होगा, जिस मूल्य का भुगतान किया जायेगा वह अग्रक्रयाधिकार के समय प्रचलित उचित बाजार मूल्य होगा।

(2) उक्त मूल्य निकालने में सहायकता देने के लिये पट्टेदार यदि उस से ऐसी अपेक्षा की जाय तो राज्य सरकार को उसकी गोपीनय सूचना के लिये अन्य ग्राहको को बेचे गये ऐसे खनिजों या उनके उत्पादनों तथा उन्हे ढोने के लिये अधिकतर पत्रों का विवरण और मूल्य प्रस्तुत करेगा।

40– पट्टेदारों की स्वतंत्रता, अधिकार और विशेषाधिकार :

नियम 41 में उल्लिखित निबन्धन और शर्तो के अधीन रहते हुये, इस नियमावली के अधीन खनन पट्टा धारण करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता, अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होगा :

(क) पट्टे में उल्लिखित भूमि पर प्रवेश करना और खान की खोज करना, उस खनिज को जिसके जिसके लिये पट्टा हो, वेधन करना (bore) उसे खोदना, उनमें बरमें द्वारा सुराग करना (drill) या उसे लब्ध करना, उस पर काम करना, उसका प्रशाधन (Dress) करना, उसकी प्रक्रिया करना, उसे बदलना, उसे ले जाना और उसका निस्तारण करना।

(ख) उक्त भूमि में कोई गडढा खोदना, कूपक (Shafts) ढाल (Inclines) पशुमार्ग (Drifts) समतल, जलमार्ग (Water wagys) बनाना या अन्य निर्माण कार्य करना।

(ग) भूमि पर कोई मशीन, संयत्र (plant) स्थापित करना, प्रशाधन (dresssing) करना, फर्श बिछाना भट्टियां (furnaces) बनाना, ईट भट्टे लगाना, कर्मशालायें, माल गोदाम और उसी प्रकार के अन्य भवनों का निर्माण करना।

(घ) उक्त भूमि पर सड़क तथा अन्य रास्ते बनाना और उनका उपयोग करना और उन पर आवागमन करना।

(ड) पत्थर खोदना (to quarry) और पत्थर की बजरी (stone gravel) तथा अन्य भवन और सड़क सम्बन्धी सामान्य तथा मृदा तैयार करना और उसका उपयोग करना और ऐसे ईंटों या खैपरैल (tiles) निर्मित करना और ऐसी मृदा से ईंटो या खपरैलों का प्रयोग करना, किन्तु ऐसे सामान, ईंट या खपरैलों को न बेचना।

(च) उक्त भूमि की सतह पर पर्याप्त भाग का खानों के लिये किसी उत्पादन, या किये गये कार्यों और औजारों (tools) सज्जा (equipment) गिट्टी तथा सामानों और खोदे गये या निकाले गये पदार्थो का संग्रहण या जमा करने के प्रयोजन के लिये उपयोग करना और

(छ) अन्य व्यक्तियों के वर्तमान अधिकारों के अधीन रहते हुये और नियम 41 के खण्ड (घ) में की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये झाड़ियां (under growth) और घनी झाड़ी (brushwood) को साफ करना तथा उक्त भूमि पर खड़े या पाये गये वृक्षो या इमारती लकड़ी वृक्षों का गिराना और उसका उपयोग करना। बशर्ते जिला अधिकारी पट्टेदार को उसके (पट्टेदार) द्वारा गिराये गये और उपयोग में लाये गये किन्हीं वृक्षों या इमारती लकड़ियों का उन दरों पर भुगतान करने के लिए कह सकता है जो जिला अधिकारी द्वारा उनके बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुये निर्धारित की जाय।

B 41– पट्टेदार की स्वतन्त्रता, अधिकार और विशेषाधिकार के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्बन्धन एवं शर्तें :–

पट्टेदार नियम 40 में उल्लिखित स्वतन्त्रता, अधिकार और विशेषाधिकार का प्रयोग निम्नलिखित निर्बधनों एवं शर्तो के अधीन रहते हुये करेगा।

B (अधिसूचना संख्या 3252, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा संशोधन

(क) निम्नलिखित स्थानों पर न कोई चीज खड़ी या स्थापित की जायेगी और न कोई सतह संक्रियायें की जायेगी :

(1) किसी सार्वजनिक विनोद स्थल, शमशान अथवा कब्रिस्तान या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र माना जाने वाला कोई स्थान या मकान अथवा ग्राम–स्थल, सार्वजनिक सड़क या कोई अन्य स्थान, जो जिला अधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्थान घोषित किया जाये, और

(2) ऐसी रीति से न तो कोई चीज खड़ी या स्थापित की जायेगी और न कोई सतह संक्रियायें की जायेगी जिससे किसी भवन, निर्माण कार्य, सम्पत्ति या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को क्षति पहुंचे अथवा उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ें।

(ख) पट्टे में असम्मिलित निर्माण कार्यों या प्रयोजनों के निमित्त कोई ऐसी भूमि, सतह संक्रियायें के लिये प्रयुक्त न की जायेगी, जो राज्य–सरकार से भिन्न व्यक्तियों के दखल में पहले से ही हो।

(ग) किसी भी मार्ग, कुआं या तालाब का उपयोग करने के अधिकार पर हस्तक्षेप न किया जायेगा।

(घ) प्रभागीय वन अधिकारी (Divisional Forest Officer) की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना न तो किसी आरक्षित (reserved) सुरक्षित (protected) या निहित (vested) वन में प्रवेश किया जायेगा और न उक्त अधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त किये बिना और न ऐसी शर्तों के विपरित जो राज्य सरकार तदर्थ आरोपित करे, किसी इमारती लकड़ी या वृक्षों को गिराया, काटा या उनका उपयोग किया जायेगा।

(ड) सम्बद्ध रेलवे प्रशासन की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी रेलवे लाइन से या जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी जलाशल (reservoir) नहर या अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य– जैसे सार्वजनिक सड़कों या भवनों या निवसित स्थल (inhabited site) से और ऐसे अनुदेशों तथा शर्तों के विपरीत चाहे वे सामान्य या विशेष हो जो ऐसी अनुमति में दी जाय 50 मीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान (point) पर या किसी स्थल तक कोई खनन संक्रियायें न की जायेगी। रेलवे, जलाशय, नहर या सड़क की दशा में 50 मीटर की उक्त दूरी, यथास्थिति,

किनारे (bank) के बाहरी जिहवाय (toe) या कटाई (cutting) के बाहरी कोर (edge) से क्षितिज रूप से (horizontally) और भवन की दशा में उसकी कुर्सी (plinth) से क्षितिज रूप से मापी जायेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम सड़क की दशा में यह कटाई के बाहरी कोर से 10 मीटर होगी; और

स्पष्टीकरण :– इस उप नियम के प्रयोजनों के लिये इस "सार्वजनिक सड़क" का तात्पर्य ऐसी सड़क से होगा जो कृत्रिम रूप से समतल किये जाने के पश्चात बनाई गई हो और जो निरन्तर प्रयोग के परिणामस्वरूप बनेपथ (tuack) से भिन्न हो और ग्राम–सड़क के अन्तर्गत कोई ऐसा पथ होगा, जो राजस्व अभिलेख में ग्राम–सड़क के रूप में किया गया हो।

(च) किसी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जो पट्टेदार द्वारा धृत भूमि में समाविष्ट हो या उससे आसन्न हो या उससे अभिगम्य हो, सरकारी पट्टे या अनुज्ञा–पत्र के वर्तमान या भावी धारकों को वहां आने–जाने की समुचित सुविधायें दी जायेगी। यदि इस स्वतन्त्रता का प्रयोग करने के कारण ऐसे पट्टाधारियों या अनुज्ञापत्रधारियों द्वारा कोई हानि या क्षति पहुंचाई जाये तो ऐसे पट्टेदारों या अनुज्ञापत्रधारी द्वारा पट्टेदार को उसके लिये उचित प्रतिकर (जो परस्पर सहमति द्वारा तय हो या असहमति होने की दशा में, जो राज्य सरकार द्वारा निर्णीत किया जाये) देय होगा।

B *(छ) नदी पुल सुरक्षा हेतु पुल से 100 मीटर अपस्ट्रीम एवं 100 मीटर डाउन स्ट्रीम क्षेत्र का प्रतिबन्धित करते हुए चुगान/खनन कार्य करेगा।*

42– सभी दावों के विरूद्व पट्टेदार सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा :–

पट्टेदार सभी हानि, या विक्षोभ (distrubance) के लिये, जो पट्टे द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करने में उसके द्वारा की गयी हो, भुगतान करने की प्रत्याभूति (guarantee) देगा और ऐसे समुचित प्रतिकर का भुगतान करेगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाये और उन सभी दावों, वादों तथा मार्गों से और उनके प्रति जो किसी ऐसी हानि, क्षति या विक्षोभ के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा की जायेगी या लायी जायें और उनके सम्बन्ध में सभी परिव्ययों की राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा पूर्णतया क्षतिपूर्ति करता रहेगा।

43– पट्टेदार गड्ढ़ो, कूपको आदि को सुरक्षित और अच्छी दशा में रखेगा :

पट्टेदार पट्टे की अवधि में ऐसे सभी गड्ढो, कूपको (shafts) और कार्यकरणों (workings) को, जो भूमि में बनाये जाये या प्रयुक्त किये जाये, इमारती लकड़ी या अन्य स्थाई उपायों से पर्याप्त रूप से सुरक्षित और खुला रखेगा और राज्य सरकार के संतोषानुसार प्रत्येक ऐसे गडढे, कूपक या कार्यकरण के चारों ओर, चाहे वह परित्यक्त कर दिया गया हो या नहीं पर्याप्त रूप से बाड़े लगायेगा और उनका अनुरक्षण करेगा और उसी अवधि में, भूमि पर के सभी कार्यकारणों को सिवाय उनके, जो परित्यक्त किये जाये, प्रवेश्य और यथासंभव जल एवं दूषित वायु से मुक्त रखेगा।

44– पट्टेदार, कार्यकरणों के निरीक्षण की अनुमति देगा :

पट्टेदार, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ, प्राधिकृत किसी अधिकारी को भू–गृह दि में जिसके अन्तर्गत पट्टे में समाविष्ट कोई भवन, उत्खनन या भूमि भी है, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करने और उसके नक्शे (plans) बनाने, न्यादर्शन (sampling) और कोई आधार सामग्री एकत्र करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश करने की अनुमति देगा और पट्टेदार ऐसे उपयुक्त व्यक्ति के साथ, जो पट्टेदार द्वारा सेवायोजित किया गया हो तथा जो खानों और खनिकर्म से परिचित हो, उक्त अधिकारी, अभिकर्ताओं, सेवकों और कर्मचारी (workmen) को प्रत्येक ऐसे निरीक्षण करने में प्रभावपूर्ण रूप से सहायता देगा और उन्हे खानों की कार्यप्रणाली (working) से संबंद्व सभी सुविधायें व सूचना देगा, जिनकी वे उचित रूप में अपेक्षा करें और ऐसी सभी आज्ञाओं तथा विनियमों के अनुसार के अनुसार कार्य भी करेगा और उनका पालन करेगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, ऐसे निरीक्षण के फलस्वरूप या अन्य प्रकार से समय–समय पर देना या बनाना उचित समझे।

45– पट्टेदार, दुर्घटना का प्रतिवेदन देगा :

पट्टेदार अविलम्ब जिला अधिकारी को प्रत्येक ऐसी दुर्घटना का प्रतिवेदन भेजेगा जो पट्टे के अधीन किन्हीं संक्रियाओं के दौरान में हो जाये और जिसके कारण मृत्यु हो जाये या गंभीर शारीरिक चोट पहुंचे या संपत्ति को गंभीर क्षति पहुंचे, या जिससे जीवन या संपत्ति पर गंभीर प्रभाव पड़े, या वह संकट में पड़ जाये।

B *(अधिसूचना संख्या 3252, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा संशोधन)*

46– पट्टेदार तौलमशीन की व्यवस्था करेगा :– उक्त नियमावली के नियम 46 और 47
47– पट्टेदार तौलमशीन की जांच करने की अनुमति देगा : निकाल दिये जायेंगे।

48– पट्टेदार कोई भी अतिरिक्त आवश्यक धनराशि जमा करेगा :

जब कभी प्रतिभूति जमा या कोई भाग या उसकी पूर्ति (replenishment) में राज्य सरकार के पास जमा की गई कोई अतिरिक्त धनराशि इस नियमावली द्वारा दिये गये अधिकार के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जब्त कर ली जाये या प्रयुक्त की जाये, तो पट्टेदार राज्य सरकार के पास ऐसी और धनराशि जमा करेगा जो ऐसी जब्ती या प्रयुक्ति के कारण हुई कमी को पूरा करने के लिये आवश्यक हो।

49– सरकार द्वारा किये गये व्ययों की वसूली :–

यदि कोई निर्माण या विषय, जो इस नियमावली के अनुसार पट्टेदार द्वारा कार्यान्वित या संपादित किये जाने वाले हो, तदर्थ निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्यान्वित या संपादित करा सकती है और पट्टेदार मांगने पर राज्य सरकार को उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा किये गये सभी व्ययों का भुगतान करेगा। ऐसे व्ययों के सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

50– प्रतिभूति जमा का वापस किया जाना :–

खनन पट्टे की समाप्ति के पश्चात राज्य सरकार के पास जमा पड़ी हुई प्रतिभूति की धनराशि, जो इस नियमावली में उल्लिखित किन्ही भी प्रयोजनों में प्रयुक्त किये जाने के लिये अपेक्षित न हो, साधारणतया पट्टे की समाप्ति के दिनांक से छः मास की अवधि के भीतर पट्टेदार को वापस कर दी जायेगी।

अध्याय –6
खनन अनुज्ञा–पत्र

51– खनन अनुज्ञा पत्र के दिये जाने पर निर्बन्धन :

कोई खनन अनुज्ञा पत्र ऐसे व्यक्ति को न दिया जायेगा जो भारतीय राष्ट्रिक न हो, या छः मास से अधिक अवधि के लिये न दिया जायेगा।

52– खनन अनुज्ञा–पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र :

खनन अनुज्ञा–पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम0एम0 8 में तीन प्रतियों में जिलाधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा जो ऐसा अनुज्ञा–पत्र देने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाये। इसके साथ निम्नलिखित होगे :–

(एक) 400 रू0 का शुल्क और

(दो) भू–कर सर्वेक्षण मानचित्र की दो प्रतियां या ऐसे सर्वेक्षण के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्र की स्थिति में धरातल मानचित्र की ऐसे पैमाने पर जिसमें कम से कम "4 इंच बराबर एक मील" के हो, दो ऐसी प्रतियां जिसमें वह क्षेत्र, जिसके प्रार्थना–पत्र दिया गया है, स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो।

53– प्रार्थना पत्र का निस्तारण :

अनुज्ञा पत्र देने के लिये प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात जो आवश्यक समझी जाय, अनुज्ञा पत्र देने से इन्कार कर सकता है या उसकी किसी अनुज्ञा द्वारा ऐसी शर्तें और निबन्धनों के अधीन जो उक्त अधिकारी आवश्यक समझे, प्रार्थित क्षेत्र के कुल या कुछ भाग के लिये दे सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे क्षेत्र के लिये, जो पट्टे या खनन अनुज्ञा पत्र के अधीन पहले से धृत है, अनुज्ञा पत्र दिये जाने के लिये कोई प्रार्थना पत्र समय पूर्व समझा जायेगा और उसं अस्वीकार कर दिया जायेगा और यदि कोई प्रार्थना पत्र शुल्क दिया गया है, तो उसे वापस कर दिया जायेगा।

53–क अनुज्ञा पत्र दिये जाने के लिये कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकार :

नदी के तल से अनन्य रूप से पायी जाने वाल बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी अनन्य अथवा मिली–जुली अवस्था में हो, खनन अनुज्ञा पत्र के सम्बन्ध में अधिमान किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को चाहे वह निगमित हो अथवा नही, दिया जायेगा जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से नागरिकों के पिछड़े वर्गों के हों और वृत्ति के रूप में बालू या मोरम के उत्खनन कार्य में लगे हों और उसी जिले के निवासी हों, जिसमें वह क्षेत्र स्थिति हो, जिसके अनुज्ञा पत्र के लिये आवेदन किया गया है।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिये नियम –9 क का स्पष्टीकरण लागू होगा।

54–स्वामित्व का जमा किया जाना :

(1) जब नियम 53 के अधीन खनन अनुज्ञा पत्र दिये जाने का आदेश दे दिया जाय, तब प्रार्थी आदेश की संसूचना दिये जाने के दिनांक क पन्द्रह दिन के भीतर, उक्त आदेश के अनुज्ञात खनिज की कुल मात्रा के लिये नियमावाली की प्रथम अनुसूची में तत्काल विनिर्दिष्ट दर पर स्वामित्व जमा करेगा। यदि अनुज्ञापत्र धारक किसी कारण से जो उसके द्वारा हुआ माना जाय अनुज्ञात समय के भीतर खनिज को नहीं हटा लेता तो स्वामित्व के रूप में जमा कोई धनराशि वापस नहीं की जायेगी।

(2) यदि प्रार्थी उपनियम (1) में उल्लिखित अवधि के भीतर या ऐसी अग्रेतर अवधि के भीतर, जैसी अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा दी जाये स्वामित्व जमा करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने वाला आदेश प्रतिसंहृत (रद्द) हो जायेगा और नियम 52 के खंड (एक) में उल्लिखित फीस राज्य सरकार के प्रति जब्त हो जायेगी।

55– खनन अनुज्ञा–पत्र का जारी किया जाना :

प्रार्थी को खनन अनुज्ञा–पत्र प्रपत्र एम0एम0 10 ऐसी अतिरिक्त निबंधनों और शर्तो के साथ, जिनके अधीन नियम 53 में आदेश दिये जाय, नियम 54 के उपनियम (1) में स्वामित्व जमा करने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर जारी कर दिया जायेगा और इस प्रकार जारी अनुज्ञापत्र, में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक तक या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाय, इसमें से जो भी पहले हो, वैध रहेगा।

56– खनन अनुज्ञा–पत्रों का रजिस्टर :–

खनन अनुज्ञा–पत्रों के सभी प्रार्थना–पत्रों का एक रजिस्टर जारी किये गये अनुज्ञा–पत्रों के ब्यौरों के साथ प्रपत्र एम0एम0 9 में जिला अधिकारी अवथा खनन अनुज्ञा–पत्र देने के लिये प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में रखा जायेगा।

अध्याय–7
उल्लंघन, अपराध और शास्तियां

***B** 57– अनधिकृत खनन के लिये शस्ति :–*

जो कोई भी नियम–3 के उपबन्धों का उल्लंघन करे व दोष सिद्व हो जाने पर दोनो में से किसी भी प्रकार के कारावास के दण्ड से दण्डनीय होगा, जो छः मास तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो पच्चीस हजार रूपये तक हो सकता है अथवा दोनों दण्डो से दण्डनीय होगा। उक्त के अतिरिक्त अवैध उत्खनित खनिज/परिवहन किये जा रहे खनिज/भण्डारित किये जा रहे खनिज की मात्रा पर विक्रय मूल्य की धनराशि आंगणित कर वसूल किया जायेगा।

58– स्वामित्व, भाटक या अन्य देयों को भुगतान न करने के परिणाम :

(1) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, पट्टेदार पर इस बात की सूचना तामील करने के पश्चात कि वह सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वामित्व (रायल्टी) सहित पटटे के अधीन देय कोई धनराशि या अपरिहार्य भाटक का भुगतान करें, यदि उस भुगतान के लिये निश्चित दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उसका भुगतान न किया हो, तो खनन पट्टा समाप्त कर सकता है। यह अधिकार पट्टेदार से ऐसे देयों को भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करने के राज्य सरकार के अधिकार के अतिरिक्त होगा और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) इस नियमावली के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, बिना उपनियम (1) के अधीन सूचना की अवधि की समाप्ति के पश्चात इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार को देय किसी भाटक स्वामित्व, सीमांकन शुल्क और किन्हीं अन्य देयों पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधरण ब्याज लिया जा सकता है।

***B** (अधिसूचना संख्या 3252, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा संशोधन)*

59– कतिपय शर्तो का उल्लंघन करने के परिणाम :

खनन पट्टाधारण करने वाला कोई पट्टेदार (जो कार्यकारिणें और तौल मशीनों के निरीक्षण से सम्बन्धित) नियम 44 और 47 में व्यवस्थित किन्हीं शर्तो को भंग करें, दोष सिद्व हो जाने पर दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास के दण्ड से दण्डनीय होगा, जो छः मास तक हो सकता है, अर्थात अर्थदण्ड से जो एक हजार रूपये तक हो सकता है अथवा दोनों दण्डों से दण्डनीय होगा।

60– सामान्यता नियमों और पट्टे की शर्तो के उल्लघन का परिणाम :

(1) पट्टेदार द्वारा नियमों या पट्टे में दी गई समझी जाने वाली शर्तो और प्रसंविदाओं के, सिवाय उनके, जो स्वामित्व, भाटक या राज्य सरकार को देय अन्य धनराशियों के भुगतान से सम्बन्धित हो, भंग या उल्लंघन किये जाने की दशा में राज्य सरकार पट्टेदार को अपना मामला बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात पट्टा समाप्त कर सकती है। यह अधिकार नियम 59 के उपबन्धों के अतिरिक्त होगा और इसका उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) यदि उप नियम (1) के अधीन पट्टा समाप्त कर दिया जाता है तो पट्टेदार का नाम जिला अधिकारी द्वारा पांच वर्ष से अनाधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा उचित समझा जायें काली सूची में डाल दिया जायेगा और ऐसी अवधि के दौरान उसके इस नियमावली के अधीन कोई खनिज परिहार स्वीकृत नही किया जायेगा। इस सम्बन्ध में, यथास्थिति, खनन पट्टे के रजिस्टर में या नीलामी रजिस्टर के अभ्युक्ति वाले स्तम्भ में एक प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी।

अध्याय– 8
विविध

61– प्रत्यक्ष अशुद्धियों को ठीक करने का अधिकार :

राज्य सरकार या किसी अन्य समक्ष प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा इस नियमावली के अधीन दी गई किसी आज्ञा में कोई लिपिक या अंकीय अशुद्धि यथास्थिति राज्य सरकार, प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा ठीक की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी आज्ञा, जो किसी व्यक्ति के लिये हानिकार हो, तब तक न दी जायेगी जब तक कि उसे अपना मामला बताने के लिये समुचित अवसर न दिया गया हो।

62– रजिस्टरों का निरीक्षण करने दिया जायेगा :

(1) इस नियमावली द्वारा रखे जाने वाले नियम सभी रजिस्टरों को प्रत्येक प्रविष्टि के लिये बीस रूपये का शुल्क भुगतान करने पर निरीक्षण करने दिया जायेगा।

(2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट रजिस्टरों की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि निम्नलिखित शुल्क का भुगतान करने पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है :

(क) सात दिन के भीतर प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये 100.00 रूपये और

(ख) चौबीस घन्टे के भीतर प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये 200.00 रूपये ।

स्पष्टीकरण : –(1) "प्रविष्टि" का तात्पर्य यथास्थिति, एक अनुज्ञा पत्र या एक खनन पट्टा या एक नीलामी पट्टा के सम्बन्ध में समस्त प्रविष्टियों से है।

स्पष्टीकरण :–(2) शुल्क का भुगतान नियम 64 के निहित रीति से किया जायेगा और यथास्थिति निरीक्षण के लिये प्रार्थना पत्र या प्रमाणित प्रतिलिपि के लिये प्रार्थना पत्र के साथ ट्रेजरी चालान लगा होगा।

63 – नाम, राष्ट्रिकता आदि में परिवर्तन की सूचना दी जायेगी :

खनन पट्टे का प्रार्थी या उसका धारक राज्य सरकार को साठ दिन के भीतर प्रत्येक ऐसे परिवर्तन की सूचना देगा जो उसके नाम, राष्ट्रिकता या संगत प्रपत्रों में उल्लिखित अन्य विवरणों में किया जाये।

64– शुल्कों और जमा का भुगतान कैसे किया जायेगा :

इस नियमावली के अधीन देय किसी धनराशि का भुगतान ऐसी नीति से किया जायेगा, राज्य सरकार तदर्थ निर्दिष्ट करें।

65– छात्रों के प्रशिक्षण के लिये सुविधायें :

(1) खनन का प्रत्येक स्वामी अभिकर्ता या प्रबन्धक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित खनिकर्म एवं भूतत्व सम्बन्धी संस्थाओं के छात्रों को उनके द्वारा चलायी जाने वाली खानों और संयंत्रों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति देगा और ऐसे छात्रों से प्रशिक्षण के लिये अपेक्षित सभी आवश्यक सुविधायें देगा।

(2) खनिकर्म या भूतत्व शास्त्र की शिक्षा देने वाली संस्थाओं के छात्रों के प्रशिक्षण के लिये प्रार्थना पत्र खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक को उक्त संस्थाओं के आचार्य (Principal) या प्रधान के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। खान के किसी स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक द्वारा व्यावहारिक, प्रशिक्षण के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने से इनकार करने के मामले भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशक, उत्तराखण्ड को अभिविष्ट किये जाने चाहिये।

66– निर्धारण करने, प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार :

(1) किसी खान का परित्यक्त खान के रायल्टी का निर्धारण करने और उसकी वास्तविक या भावी कार्य की स्थिति की जांच करने के लिये या इस नियमावली के संबंद्व किसी प्रयोजन के लिये जिला अधिकारी या भू–विज्ञान तथा खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के ऐसे अधिकारी जो निदेशक द्वारा इस योजना के लिये नियुक्त खान निरीक्षक के पद से नीचे के पद के न हों या राज्य सरकार की सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी :

(क) किसी खान में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है।

(ख) किसी ऐसी खान का सर्वेक्षण कर सकता है और माप सकता है।

(ग) किसी खान में पड़े हुये खनिज स्टाक को तौल सकता है, उसे माप सकता है या उसकी नाप ले सकता है।

(घ) किसी ऐसे लेख्य, बही, रजिस्टर या अभिलेख का परीक्षण कर सकता है जो किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे या अधिकार में हो, जिसका किसी खान पर नियन्त्रण हो या जो उससे संबद्व हो और उस पर पहचान के चिन्ह लगा सकता है और ऐसे लेख्य, बही, रजिस्टर या अभिलेख से उद्वरण ले सकता है या उसकी प्रतियां तैयार कर सकता है।

(ड) खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी ऐसे लेख्य, बही, रजिस्टर या अभिलेख को समन कर सकता है या उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकता है।
(च) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका किसी खान पर नियंत्रण हो या जो उससे संबद्व हो, समन कर सकता है या उसका निरीक्षण कर सकता है, और
(छ) ऐसी सूचना का विवरण मांग सकता है जो आवश्यक समझी जाये।
(2) उप नियम (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा और प्रत्येक व्यक्ति से जो उक्त उपनियम के खण्ड (ड) या खण्ड (च) द्वारा प्रदत अधिकारों के आधार पर कोई आज्ञा या समन जारी किया जाय, यथास्थिति, ऐसी आज्ञा या समन का अनुपालन करने के लिये विधितः बाध्य होगा।

67– भूमि के स्वामी द्वारा खनन संक्रियाये पर कोई निर्बन्धन आदि आरोपित नही किया जायेगा :

(1) कोई भी व्यक्ति, जिसे खनन पट्टा या खनन अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि में किसी भी रूप में अधिकार प्राप्त हो, ऐसी भूमि के पट्टा या खनन अनुज्ञा पत्र धारक खनन संक्रियाओं पर कोई प्रतिषेध या निर्बन्धन आरोपित करने का उपखनिज पट्टा हटाने के लिये अधिमूल्य (प्रीमियम) या स्वामित्व के रूप में कोई धनराशि मांगने का हकदार न होगा।
प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा व्यक्ति भूमि के धरातल की खनन संकियाओं के लिए उपयोग करने हेतु खनन पट्टा खनन अनुज्ञा–पत्र के उक्त धारक से ऐसा वार्षिक प्रतिकर पाने का अधिकार होगा, जो उनके बीच तय हो।
(2) जहां खनन पट्टा अनुज्ञा–पत्रधारक और भूमि की सतह के स्वामी वार्षिक प्रतिकर की धनराशि पर सहमत न हों और उसके सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो जिला अधिकारी द्वारा उसका अवधारण निम्नलिखित रूप से किया जायेगा :–
(क) कृषि योग्य भूमि की दशा में, प्रतिकर की धनराशि उसी प्रकार की भूमि में विगत तीन वर्षो में की गई खेती से प्राप्त औसत शुद्व आय के आधार पर निकाली जायेगी, और
(ख) गैर कृषि योग्य भूमि की दशा में, वार्षिक प्रतिकर की धनराशि, उसी प्रकार की भूमि के विगत तीन वर्षों के भाटक मूल्य के आधार पर निकाली जायेगी।

68 –विशेष मामलों में नियमों का शिथिल किया जाना : राज्य सरकार किसी भी मामले में यदि उसकी यह राय हो कि खनिज विकास के हित में लिखित आज्ञा द्वारा और उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे ऐसा करना आवश्यक है, इस नियमावली में निर्धारित शर्तों और प्रतिबन्धों से भिन्न शर्तों और प्रतिबन्धों पर किसी खनिज को लब्ध करने के लिये खनन पट्टे को देने या किसी खान का कार्य करने का प्राधिकार दे सकती है।

69–स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक ठेकेदार के माध्यम से वसूल किया जा सकता है :

(1) सरकार, खनन पट्टे के धारकों से स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक ठेकेदार द्वारा वसूल किये जाने का प्रबन्ध कर सकती है और ऐसे धारक, जब राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाये, स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक का भुगतान अपने पट्टे में निर्दिष्ट दरों पर उक्त ठेकेदारों को ऐसी अवधि के भीतर करेंगे, जो निदेशित की जाये।
(2) खनन पट्टे के धारक द्वारा ठेकेदार या यथास्थिति स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक भुगतान न करने के वही परिणाम होंगे, जो राज्य सरकार को भुगतान करने के होते है और उस दशा में राज्य सरकार को पट्टेदार से बकाया की वसूली करने तथा पट्टे को समाप्त करने के सम्बन्ध में ऐसे सभी अधिकार होंगे, जो इस नियमावली में व्यस्थित है।
(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति के साथ, जो उपयुक्त समझा जाये, तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये निर्दिष्ट क्षेत्र में खनन पट्टों के धारकों से स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक वसूल करने के लिये नीलाम करके या टैण्डर आमंत्रित करके या किसी अन्य रीति से ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर अनुबन्ध कर सकती है जो उपयुक्त समझी जाये।

I 70– खनिज के परिवहन पर निर्बन्धन :–

(1) खनन पट्टा या खनन अनुज्ञापत्रधारक या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत व्यक्ति, किसी पंजीकृत गाड़ी या परिवहन के किसी अन्य पंजीकृत साधन द्वारा उपखनिज का परिषण (कन्साइनमेंट) कर ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के सीमान्तर्गत ऑनलाईन ई–फॉर्म एम0एम0 11 अथवा मैनुवल प्रपत्र एम0एम0–11 तथा राज्य की सीमा से बाहर I परिवहन किये जाने हेतु ऑनलाईन ई–फॉर्म एम0एम0–11(ओ/एस) अथवा मैनुअल एम0एम0 11(ओ/एस) जारी करेगा। राज्य सरकार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की विभागीय वेबसाईट पर तैयार ई–एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से, भुगतान के आधार पर यथास्थिति ई–फॉर्म एम0एम0–11 अथवा ई–फॉर्म एम0एम0–11 (ओ/एस) तथा आकस्मिक परिस्थिति में मैनुअल एम0एम0 11 एवं मैनुअल एम0एम0–11 (ओ/एस) प्रपत्र पुस्तिका की सम्पूर्ति का प्रबन्ध करेगी।

(2) कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर रेल को छोड़कर, पंजीकृत गाड़ी या पंजीकृत परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा कोई उपखनिज उपनियम (1) के अधीन बिना ई–फॉर्म एम0एम0–11 अथवा मैनुअल प्रपत्र एम0एम0–11 में घोषणा किये हुए नहीं ले जायेगा।

*परन्तु: निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड को विशिष्ट परिस्थितियों में ई–ट्रांजिट पास (ई–एम0एम0–11, ई–एम0एम0–11 ओ/एस) के ऑनलाइन जनरेशन **(Online generation)** के उपयोग हेतु छूट प्रदान करने का अधिकार होगा।*

ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों हेतु जिनमें ऑनलाइन ई–ट्रांजिट पास (ई–एम0एम0–11, ई–एम0एम0–11 ओ/एस) के उपयोग को छूट प्रदान किया जाय, खनिजों के परिवहन हेतु मैनुअल ट्रांजिट पास (एम0एम0–11, एम0एम0–11 ओ/एस) का उपयोग का प्रावधान प्रभावी रहेगा।

(3) किसी उपखनिज को ले जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति, नियम 66 के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगने पर उक्त ''पास'' को ऐसे अधिकारी को दिखायेगा और उसे उप खनिज की मात्रा के संदर्भ में ''पास'' के विवरणों की शु:ता को सत्यापित करने देगा।

(4) राज्य सरकार खनन पट्टा या अनुज्ञा पत्र में सम्मिलित किसी क्षेत्र के लिये जांच चौकी (चेक पोस्ट) स्थापित कर सकती है और जब ऐसी जांच चौकी स्थापित कर दी जाय तो इस तथ्य की सार्वजनिक सूचना गजट में प्रकाशित करके और ऐसी अन्य रीति से दी जायेगी जैसा राज्य सरकार उपर्युक्त समझे।

(5) कोई व्यक्ति, ऐसे उपखनिज का, जिस पर यह नियमावली लागू होती हो, परिवहन ऐसे क्षेत्र से उस क्षेत्र के लिये स्थापित जांच चौकी पर खनिज के प्रकार या माप के सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये बिना नहीं करेगा।

(6) कोई व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में यह पाया जाय कि उसने इस नियम का उल्लंघन किया है, दोष सिद्व हो जाने पर दोनों प्रकार में से किसी भी प्रकार के कारावास के दण्ड से दण्डनीय होगा, जिसकी अवधि छः माह तक हो सकती है अथवा अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो एक हजार रूपये तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

I (अधिसूचना संख्या 1560,दिनांक 30 सितम्बर, 2016 द्वारा संशोधन)

B (7) खनिज परिवहन किये जाने वाले प्रपत्र एम0एम0–11 एवं प्रपत्र जे सम्बन्धित जनपद के ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/ खान निरीक्षक द्वारा जारी किये जायेगे।

I (8) शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत ई–रवन्ना लेने से पूर्व खनन पट्टाधारक को अपने पट्टा क्षेत्र में चुगान हेतु अवशेष उपखनिज की मात्रा को घोषित करेगा।

I (9) खनन पट्टाधारक द्वारा अग्रिम रूप से जमा की गई रायल्टी धनराशि के सापेक्ष आगणन कर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत विभागीय अधिकारी द्वारा खनिज निष्कासन की क्षमता (Capacity) स्वीकृत की जायेगी।

J (10) –विलोपित–

71–प्रतिनिधान :
जब राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निदेश दे सकती है कि इस नियमावली के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य कोई भी अधिकारी किन्हीं ऐसे विषयों के सम्बन्ध और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जांय राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किये जा सकते है, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जाये।

72 – खनन पट्टा स्वीकृति एवं पुनः स्वीकृति के लिये क्षेत्र की उपलब्धता का अधिसूचित किया जाना :–
(1) निजी नाप भूमि को छोडकर यदि कोई क्षेत्र जो अध्याय–2 के अन्तर्गत खनन पट्टा के अधीन धृत था या अधिनिमय की धारा–17क के अधीन आरक्षित था, पुनः खनन पर दिये जाने के लिये उपलब्ध हो जाता है तो जिला अधिकारी नोटिस के माध्यम से उस क्षेत्र की उपलब्धता अधिसूचित करेगा जिसमें दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए, जो नोटिस के दिनाक से तीस दिन पहले का न होगा और ऐसे क्षेत्र का ब्यौरा होगा। खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र आमंत्रित करेगा और ऐसी नोटिस की एक प्रति उसके कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और एक–एक प्रति उस क्षेत्र के तहसीलदार और निदेशक को भी भेजी जायेंगी।

B (अधिसूचना संख्या 3252, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा संशोधन)

I (अधिसूचना संख्या 1560, दिनांक 30 सितम्बर, 2016 द्वारा संशोधन)

J (अधिसूचना संख्या 658, दिनांक 16 मार्च, 2018 द्वारा संशोधन)

(2) उपनियम (1) के अधीन खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र उक्त उप नियम में निर्दिष्ट नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक से सात कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त किये जायेंगे। यदि फिर से भी, किसी क्षेत्र के लिये प्राप्त आवेदक पत्रों की संख्या तीन से कम हो तो जिलाधिकारी अवधि को अग्रेत्तर सात कार्य दिवसों के लिये और बढ़ा सकता है और यदि उसके पश्चात भी प्रार्थना पत्र की संख्या तीन से कम रहती है तो जिलाधिकारी उक्त उप नियम के अनुसार नये सिरे से क्षेत्र की उपलब्धता को अधिसूचित करेगा।
(3) ऐसे क्षेत्र का, जो पहले से ही किसी पट्टा के अधीन धृत है या नियम 23 के उप नियम (1) के अधीन अधिसूचित है या अधिनियम की धारा 17–क के अधीन आरक्षित है और जिसकी उपलब्धता उप नियम (1) के अधीन अधिसूचित नहीं की गयी है खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र समय पूर्व समझा जायेगा और उस पर विचार नहीं किया जायेगा और यदि कोई प्रार्थना पत्र शुल्क दिया गया है तो उसे वापस कर दिया जायेगा।

B (4) निजी नाप भूमि में विज्ञप्तिकरण की कार्यवाही नही की जायेगी तथा भूस्वामी अथवा भूस्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक को आवेदन करने पर जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर खनन निदेशक की संस्तुति के उपरान्त खनन पट्टा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।
(5) निजी नाप भूमि से इतर खनन क्षेत्रों हेतु जिलाधिकारी के द्वारा विज्ञप्तिकरण के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को प्रेषित किये जायेगे। निदेशक की संस्तुति पर खनन पटटे राज्य सकरार द्वारा स्वीकृत किये जायेगे।

73– विवरणियॉ (रिटनर्स) :
(1) इस नियमावली के अधीन खनिज परिहार धारक, पूर्ववर्ती त्रैमास के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में प्रपत्र एम0एम0 12 में जिला अधिकारी और निदेशक के क्षेत्रीय कार्यालय को त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।
(2) जब कभी भी खनिज परिहार धारक उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में विफल होता है तो यह 400.00 रूपये की शास्ति का भागी होगा।

74– अपराधों का संज्ञानः
(1) कोई न्यायालय, जिला अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद, जिसमें ऐसे अपराध के गठन करने वाले तथ्यों का उल्लेख होगा, के सिवाय, इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।
(2) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी को काई न्यायायल इस नियमावली के अधीन अपराध का विचार नहीं करेगा।
75– अपराधों का शमन :
(1) इस नियमावली के अधीन–दण्डनीय किसी अपराध का शमन अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात, जिला अधिकारी द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत करें, राज्य सरकार को ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर, जैसी ऐसा अधिकारी विनिर्दिष्ट करे, किया जा सकेगा :–
प्रतिबंध यह है कि केवल अर्थ दण्ड से दण्डनीय किसी अपराध की दशा में, ऐसी धनराशि उस अपराध के लिये आरोपित की जा सकने वाली अधिकतम धनराशि से अधिक नहीं होगी।

B (अधिसूचना संख्या 3252, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा संशोधन)

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन किसी अपराध को शमन किया जाता है, वहां इस प्रकार शमन किये गये अपराध के सम्बन्ध में अपराधी के विरूद्ध यथास्थिति कोई कार्यवाही या अग्रेत्तर कार्यवाही नहीं की जायेगी और अपराधी को, यदि अभिरक्षा में हो, तत्काल उन्योचित कर दिया जायेगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन अपराध का शमन करने वाला अधिकारी एक रजिस्टर रखेगा जिसमें निम्नलिखित ब्योरों को दर्शाया जायेगा :–

(क) क्रम संख्या (वित्तीय वर्ष तक)

(ख) अपराधी का नाम और पता।

(ग) दिनांक और अपराध के ब्यौरे।

(घ) शमन धनराशि और उसके भुगतान का दिनांक।

(ड) दिनांक और मोहर सहित अधिकारी का हस्ताक्षर ।

76– पुलिस की सहायता : नियम 66 के अभिदिष्ट अधिकारी इस नियमावली के अधीन अपनी शक्तियों के विधि सहम्मत प्रयोग के लिये स्थानीय पुलिस, की सहायता के लिये प्रार्थना कर सकता है और स्थानीय पुलिस, उस अधिकारी को इस नियमावली के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सभी सम्भव सहायता देगी।

77– अपील : इस नियमावली के अधीन जिला अधिकारी या समिति द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध, ऐसा आदेश क्षुब्ध पक्षकार को संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर, मण्डल आयुक्त के यहां अपील की जायेगी।

78– पुनरीक्षण : राज्य सरकार किसी भी समय या तो स्वयं या आदेश की संसूचना के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिये जाने पर जिला अधिकारी, समिति, निदेशक, या मण्डल आयुक्त द्वारा इन नियमावली के अधीन पारित किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख मांग सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे।

79– शुल्क : नियम 77 के अधीन अपील या नियम 78 के अधीन कोई प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम0एम0 13 में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ एक ट्रेजरी रसीद होगी, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि नियम 64 में विनिर्दिष्ट शीर्षक के अन्तर्गत राज्य सरकार के मद्दे पांच सौ रूपये का शुल्क सरकारी कोष में जमा किया जा चुका है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 में संशोधन

1. **A** अधिसूचना संख्या 1187/औ0वि0/2001–22ख/2001, दिनांक 30 अप्रैल, 2001
2. शासनादेश संख्या 3673/औ0वि0–1/22–ख टी0सी0/2001, दिनांक 20.12.2002
3. अधिसूचना संख्या 2390/VII-2-09/24–ख/2007, दिनांक 05 अक्टूबर, 2009
4. **B** अधिसूचना संख्या 3252/VII-II/22–ख/2011, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011
5. अधिसूचना संख्या 162/VII-II-13/24–ख/2007, दिनांक 18 जनवरी, 2013
6. **C** कार्यालय ज्ञाप संख्या 1490/VII-1/2014/146–ख/2010, दिनांक 19 नवम्बर, 2014
7. अधिसूचना संख्या 1207/VII- 1/24–ख/2007, दिनांक 07 अगस्त, 2015
8. अधिसूचना संख्या/शुद्धि पत्र संख्या 1223/ VII-1/24–ख/2007, दिनांक 12 अगस्त, 2015
9. अधिसूचना संख्या 1572/VII-1/24–ख/2007, दिनांक 05 अक्टूबर, 2015
10. अधिसूचना संख्या 1591/VII-1/24–ख/2007, दिनांक 07 अक्टूबर, 2015
11. अधिसूचना संख्या 1724/VII-1/24–ख/2007, दिनांक 30 अक्टूबर, 2015
12. अधिसूचना संख्या 107/VII-1/24–ख/2007, दिनांक 22 जनवरी, 2016
13. अधिसूचना संख्या 211/VII-1/24–ख/2007, दिनांक 26 फरवरी, 2016
14. अधिसूचना संख्या 842/VII-1/2016/24–ख/2007, दिनांक 19 मई, 2016
15. **I** अधिसूचना संख्या 1560/VII-1/2016/158–ख/2004, दिनांक 30 सितम्बर, 2016
16. अधिसूचना संख्या 1757/VII-1/16/24–ख/2007, दिनांक 22 नवम्बर, 2016
17. अधिसूचना संख्या 1754/VII-1/16/24–ख/07टीसी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016
18. अधिसूचना संख्या 1875/VII-1/16/158–ख/04टीसी, दिनांक 09 दिसम्बर, 2016
19. अधिसूचना संख्या 2018/VII-1/16/80–ख/2016, दिनांक 02 जनवरी, 2017
20. **G** अधिसूचना संख्या 1582/VII-1/2017/31ख/17, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017
21. **J** अधिसूचना संख्या 658/VII-1/2018/80ख/16टीसी, दिनांक 16 मार्च, 2018
22. **E** अधिसूचना संख्या 334/VII-A-1/2020/5(15)/19, दिनांक 04 मार्च, 2020
23. **F** अधिसूचना संख्या 470/VII-A-1/2020/31ख/17टीसी, दिनांक 05 मई, 2020
24. **H** अधिसूचना संख्या 670/VII-A-1/2020/5(11)/20, दिनांक 09 जून, 2020
25. **D** अधिसूचना संख्या 1824/VII-A-1/2021/80–ख/2016, दिनांक 28 अक्टूबर, 2021

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 की प्रथम अनुसूची (नियम–21)

	खनिज	स्वामित्व (रायल्टी) की दरें (रू0 में)
	1– चूना पत्थर	200.00 प्रति टन
	2– मार्बल या मार्बलचिप्स (संगमरमर)	500.0 प्रति टन
K.	3– ईंट बनाने की मिट्टी	100.00 प्रति हजार ईंट
	4– शीरा (साल्ट पीटर)	6.00 प्रति कि0ग्र0 या 600.00 प्रति कुन्टल
	5– इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन) 1. सभी प्रकार के उप खनिजों से निर्मित (ग्रेनाइट को छोड़कर) स्लैब्स अशलर सहित साईज्ड डायमेंशनल स्टोन (जिसकी कोई भी एक साइड 25 सेमी0 से अधिक हो) 2. मिल स्टोन व हथचक्की (सैण्डस्टोन क्वाटर साईज्ड)	350.00 प्रतिटन
	6– नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी साइड 25 सेंटीमीटर से अधिक न हो), बजरी/गिट्टी बैलास्ट सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू	194.50 प्रति घनमीटर अर्थात् 8.85 प्रति कुन्टल
	7– ग्रेनाइट (साइज्ड) डायमेंशनल स्टोन	1000.00
L.	8– विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	1. रू0 8.50 प्रति कुन्टल अर्थात् रू0 187.00 प्रति घनमीटर (गौला नदी) 2. रू0 8.00 प्रति कुन्टल अर्थात् 176.00 प्रति घनमीटर (कोसी, दाबका नदी) 3. रू0 7.00 प्रति कुन्टल अर्थात् रू0 154.00 प्रति घनमीटर (हरिद्वार एवं अन्य स्थान)
	9– कंकड़	200.00 प्रति टन
	10– साधारण मिट्टी	50.00 प्रति टन
	11– सिलिका सैण्ड	350.00 प्रति टन
	12– डोलोमाईट	500.00 प्रति टन
	13– बैराईट	250.00 प्रति टन
	14– क्वार्टजाईट	100.00 प्रति टन
	15– अन्य कोई खनिज जो ऊपर सूचित नहीं है	खनिमुख मूल्य का 20 प्रतिशत
M.	16– सोपस्टोन	1. निम्न श्रेणी – रू0 350.00 प्रति टन 2. उच्च श्रेणी – रू0 450.00 प्रति टन

K. अधिसूचना संख्या 1754, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 द्वारा संशोधन।

L. अधिसूचना संख्या 842, दिनांक 19 मई, 2016 द्वारा संशोधन।

M.अधिसूचना संख्या 1757, दिनांक 22 नवम्बर, 2016 द्वारा संशोधन।

द्वितीय अनुसूची (नियम–22)

खनिज	अपरिहार्य भाटक (डेडरेन्ट) की वार्षिक दर (रू0 में)
1– मार्बल और मार्बलचिप्स	40000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें न की गई हो)
2– चूना पत्थर लाईम स्टोन	40000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें न की गई हो)
3– नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी साइड 25 सेंटीमीटर से अधिक न हो), बजरी/गिट्टी बैलास्ट सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू	40000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें न की गई हो)
4– विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	80000.00
5– साधारण मृदा (आर्डिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आर्डिनरी अर्थ)	25000.00
6– खनिज सिलिका सैण्ड हेतु	30000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें न की गई हो)
7– खनिज डोलोमाईट हेतु	20000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें न की गई हो)
8– खनिज क्वार्टजाइट हेतु	20000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें न की गई हो)
9– खनिज बैराईट	20000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें न की गई हो)
N. 10– खनिज सोपस्टोन हेतु	5000.00 प्रति हैक्टेयर तथा तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें न की गई हो)

N. अधिसूचना संख्या 1757, दिनांक 22 नवम्बर, 2016 द्वारा संशोधन।

तृतीय अनुसूची

प्रपत्र एम. एम. –1

खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र

(चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

दिनांक ..... 19 .....

(समय) ..... बजे

(स्थान) .....

(दिनांक) ..... को प्राप्त हुआ।

सभी प्रकार से पूर्ण / अपूर्ण

(पाने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर)

प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से ..... को पूर्ण किया गया।

पाने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

सेवा में

.....

.....

.....

महोदय,

मैं / हम निवेदन करता हूँ / करते हैं कि मुझे / हमें उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के अधीन खनन पट्टा दिया जाय।

2. उक्त नियमावली में नियम 6 के उपनियम (1) के अधीन इस प्रार्थना पत्र के संबंध में देय शुल्क और प्रारम्भिक व्यय का क्रमशः ..... रुपया और ..... रुपया जमा कर दिया गया है।

3. अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :–

(एक) प्रार्थी का नाम और पूरा पता .....

.....

(दो) क्या प्रार्थी गैर–सरकारी व्यक्ति / निजी कम्पनी / सार्वजनिक कम्पनी / फर्म या निकाय है :

.....

(तीन) यदि प्रार्थी :–

(क) व्यक्ति विशेष है तो उसकी राष्ट्रिकता .....

(ख) निजी कम्पनी है तो कम्पनी के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता और उसके निबंधन (रजिस्ट्रेशन) का स्थान .....

(ग) सार्वजनिक कम्पनी है तो निदेशकों की राष्ट्रिकता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अंशपूंजी का प्रतिशत तथा उसके निगमन का स्थान.....

(घ) फर्म या निकाय है तो फर्म के सभी भागीदारों या निकाय के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता .....

▲ (ङ) बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई मिली–जुली अवस्था में हो, प्रार्थना करता है तो निर्धारित प्रपत्र पर जाति एवं निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये।

(▲ 21 वां संशोधन)

(चार) प्रार्थी का व्यवसाय या कारोबार .....

(पांच) खनिज जिसे/जिन्हें प्रार्थी खनन करना चाहता है .....

(छः) अवधि, जिसके लिये खनन पट्टा अपेक्षित है .....

(सात) उस क्षेत्र का ब्योरा, जिसके संबंध में खनन पट्टा अपेक्षित है :–

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	क्या रिक्त है/किसी के द्वारा धृत है और यदि धृत है तो उसका ब्योरा।
1	2	3	4	5	6	7

(आठ) निम्नलिखित के संबंध में विशेष उल्लेख के साथ क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण :–

(क) प्राकृतिक आकृतियां, ऐसे स्रोत आदि के उल्लेख के साथ क्षेत्र की स्थिति .....

(ख) वन क्षेत्रों की दशा में, कार्यवृत्त (वर्किंग सर्किल) का नाम, वन रेंज (रेंज) और पातन श्रेणी (फेलिंग सीरीज), यदि कोई हो, वन में ज्ञात और सीमांकित क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्र का विवरण तथा विस्तार (लगभग) .....

(ग) भू–कर सर्वेक्षण (कैडेस्ट्रल सर्वे) के अन्तर्गत न आने वाली क्षेत्र की दशा में, धरातल मानचित्र (टोपो मैप) में निश्चित स्थानों के अभिदेश में क्षेत्र के प्रारम्भिक स्थान (स्टार्टिंग प्वॉइंट) विवरण और सीमा रेखा की रेखीय दूरियां और उनकी 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाने के धरातल मानचित्र में दिये गये क्षेत्र के तदनुरूप यथासम्भव ठीक–ठीक दिकस्थिति (बीअरिंग)

(घ) मानचित्र पर कम से कम दो स्थायी अभिदेश बिन्दु अवश्य दर्शाया जाना चाहिये .....

(नौ) राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के भीतर, खनिजवार ऐसे क्षेत्रों के विवरण :–

(क) जिन्हें प्रार्थी या कोई व्यक्ति, जो उसके साथ स्वत्व में संयुक्त (ज्वाइन्ट इन्टरेस्ट) हो, पट्टे के अधीन पहले से धारण किये हो;

(ख) जिसके लिये उसने पहले से ही प्रार्थना पत्र दिया हो किन्तु स्वीकार न किया गया हो;

(ग) जिसके लिये एक साथ ही प्रार्थना पत्र दिया जा रहा हो;

(दस) संयुक्त स्वत्व का प्रकार, यदि कोई हो .....

(ग्यारह) रीति, जिसके अनुसार संग्रह किये गये खनिज का उपयोग किया जायेगा, यदि प्रार्थी आवेदित खनिज का उद्योग स्थापित करना चाहता हो, या उसने पहले से ही स्थापित किया हो उसका पूर्ण विवरण और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिये .....

(बारह) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन .....

▲(बारह–क) खननदेय बकाया न होने का जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये।

यदि प्रार्थी द्वारा राज्य क्षेत्र के भीतर कोई खनन पट्टा या कोई अन्य खनिज परिहार धारित नहीं करता है या धारित नहीं किया था तो इस कथन का शपथ पत्र उक्त प्रमाण पत्र के स्थान पर दिया जाना चाहिये। (▲21 वां संशोधन)

(तेरह) उपर्युक्त (दो) में अभिदिष्ट धनराशि के लिये संलग्न रसीद वाले कोषागार चालान के विवरण .....

(चौदह) कोई अन्य विवरण या रेखा–मानचित्र (स्केच मैप) जो प्रार्थी प्रस्तुत करना चाहे .....

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/ करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण जिसके अन्तर्गत यथार्थ नक्शे और प्रतिभूति जमा आदि हैं, देने को तैयार हूं/हैं, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों।

स्थान ..... भवदीय

दिनांक ..... प्रार्थी/प्रार्थियों के हस्ताक्षर

अवधेय :– (1) यदि प्रार्थना पत्र प्रार्थी के प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाय तो अभिकरण–पत्र (पावर आफ एटार्नी) संलग्न किया जाना चाहिये।

(2) प्रार्थना पत्र केवल एक सहत खण्ड (ब्लाक) के लिये होना चाहिये।

प्रपत्र एम.एम. –1 (क)

(*20वां संशोधन)

(चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

आदर्श–प्रपत्र

खनन पट्टे के नवीकरण के लिये प्रार्थना पत्र

(नियम 6क देखिये)

स्थान ..... दिनांक ..... को प्राप्त हुआ।

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक .....

के माध्यम से (पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर)

सेवा में,

.....

.....

महोदय,

मैं/हम उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के अधीन अपने खनन पट्टे से नवीकरण के लिये निवेदन करता हूं/ करते हैं। उक्त नियमावली के नियम–6–क के उपनियम (1) के अधीन देय 1000.00 रुपये (एक हजार रुपये) का प्रार्थना पत्र शुल्क जमा कर दिया गया है।

अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये है :–

1. प्रार्थी का नाम और पूरा पता .....
2. क्या प्रार्थी कोई गैर–सरकारी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या निकाय है। .....
3. यदि प्रार्थी :–
   (क) व्यक्ति विशेष है, तो उसकी राष्ट्रिकता .....
   (ख) निजी कम्पनी है, तो कम्पनी के सभी सदस्यों के रजिस्ट्रीकरण के स्थान के साथ उसकी राष्ट्रिकता .....
   (ग) सार्वजनिक कम्पनी है, तो निदेशकों की राष्ट्रिकता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अंशपूंजी का प्रतिशत तथा उसके निगमन के स्थान .....
   (घ) फर्म या संगम है तो फर्म के सभी भागीदारों या संगम के सदस्यों की राष्ट्रिकता .....

(ङ.) यदि प्रार्थना पत्र बालू और मोरम के लिये है तो प्रत्येक प्रार्थी की जाति और निवास स्थान के पते का प्रमाण पत्र दिया जायेगा.....

4. प्रार्थी/प्रार्थियों के व्यवसाय या कारोबार की प्रकृति .....

5. खनन देय बकाया न होने का जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृति अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये।

6. (क) खनन पट्टे का विवरण, जिसका नवीकरण वांछित है .....

(ख) पूर्व में स्वीकृत नवीकरण के ब्यौरे, यदि कोई हों, ...

7. अवधि, जिसके लिये खनन पट्टे का नवीकरण अपेक्षित है .....

8. क्या नवीकरण का आवेदन धृत पट्टे के सम्पूर्ण या उसके भाग के लिये किया गया है .

(क) क्षेत्र, जिसके नवीकरण के लिये आवेदन किया गया .....

(ख) उस क्षेत्र का विवरण, जिसके नवीकरण के लिये आवेदन किया गया है (विवरण भूखड के सीमांकन के लिये पर्याप्त होना चाहिये) .....

(ग) धृत पट्टा क्षेत्र के मानचित्र का विवरण, जिसमें नवीकरण के लिये आपेक्षित क्षेत्र को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया हो (संलग्न) .....

(घ) विद्यमान या सृजित मलवे के विवरण यदि कोई हो .....

9. क्या प्रार्थी का उस भूमि के धरातल, जिसके खनन पट्टे के नवीकरण के लिये उसने अपेक्षा की है, अधिकार है?

10. यदि उसको सतही अधिकार प्राप्त नहीं है तो क्या उसने खनन संक्रिया के लिये क्षेत्र के स्वामी और अधिभोगी की सहमति प्राप्त कर ली है? यदि सहमति प्राप्त कर ली है तो स्वामी और अधिभोगी की लिखित सहमति प्रस्तुत की जायेगी .....

11. शपथ पत्र द्वारा समर्थित प्रत्येक राज्य में खनिजवार क्षेत्र का विवरण जिस पर आवेदक या उसके साथ संयुक्त स्वत्व रखने वाला व्यक्ति :

(क) खनन पट्टे के अधीन पहले से धारित करता है,

(ख) पहले ही आवेदन किया हो, किन्तु यह स्वीकार न किया गया हो, या

(ग) साथ–साथ आवेदन कर रहा हो

12. खनन योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(क) क्षेत्र का मानचित्र जिसमें खनिज निकाय तथा खनिज स्थल या स्थलों का प्रकार और उनका विस्तार दर्शाया गया हो, जिसमें प्रथम वर्ष में उत्खनन किया जाना हो, और उसका विस्तार, प्रार्थी द्वारा एकत्र किये गये पूर्वेक्षण आंकड़ों पर आधारित उत्खनन स्थल का विस्तृत ब्यौरा पट्टे की अवधि के लिये अनन्तिम खनन योजना .....

(ख) क्षेत्र के भू–विज्ञान एवं अश्म–विज्ञान (lithology) का ब्यौरा, शारीरिक श्रम और मशीन द्वारा खनन का विस्तार .....

(ग) वार्षिक कार्यक्रम और वर्षानुवर्ष उत्खनन योजना और

(घ) क्षेत्र का नक्शा, जिसमें प्राकृतिक जल स्रोत, आरक्षित वन तथा अन्य वनों की सीमा और वृक्षों की संघनता, खनन क्रिया–कलाप का वन, भूमि और पर्यावरण, जिसमें वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण भी सम्मिलित हैं, पर प्रभाव का आंकलन और वन रोपण भूमि–पुनरूद्धार, प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के प्रयोग की योजना के ब्यौरे दर्शाये गये हों।

टिप्पणी – इसकी आवश्यकता नदी तल के बालू, मोरम, बजरी इत्यादि के लिये नहीं होगी।

13. साधन, जिससे खनिज निकाला जाना है, अर्थात शारीरिक श्रम द्वारा या यान्त्रिक या विद्युत युक्ति द्वारा .....

14. रीति जिसके अनुसार संग्रह किया गया खनिज उपयोग में लाया जायेगा :–

(क) भारत में विनियोग के लिये

(ख) विदेशों को निर्यात करने के लिये;

(ग) पूर्ववती दशा में उन उद्योगों को, जिसे संबंध में यह अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट किया जायेगा पश्चातवर्ती दशा में, उन देशों का उल्लेख किया जाना चाहिये, जिनको खनिज का निर्यात किया जायेगा या उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्या खनिज प्रक्रमण्ड के पश्चात निर्यात किया जायेगा या कच्चे रूप में .....

15. विगत तीन वर्षों में उत्पादन का ब्योरा और आगामी तीन वर्षो के दौरान विकास के लिये अभिन्यास योजना सहित उत्पादन के लिये चरणबद्ध कार्यक्रम, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिये।

16. विद्यमान उपलब्ध रेलवे परिवहन सुविधा और अतिरिक्त परिवहन सुविधा, यदि कोई अपेक्षित हो।

17. कोई अन्य विवरण जो प्रार्थी देना चाहते हों

मैं/ हम एतदक्षरा घोषित करता हूं। करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और मैं/ हम, पट्टा दिये जाने या उसका नवीकरण किये जाने के पूर्व आपके द्वारा अपेक्षित कोई अन्य ब्यौरा, जिसमें नक्शे भी हैं, देने का तत्पर हूं/ हैं।

भवदीय

स्थान .....

प्रार्थी का हस्ताक्षर और पदनाम

दिनांक

अवधेय :– यदि प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है तो अभिकरण–पत्र संलग्न किया जाना चाहिये।

प्रपत्र एम.एम. 2

खनन पट्टों के लिये प्रार्थना–पत्र का रजिस्टर (नियम – 5)

1. क्रम संख्या .....

2. खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र का दिनांक .....

3. दिनांक जब पाने वाले अधिकारी को प्रार्थना –पत्र प्राप्त हुआ .....

4. यदि प्रार्थना पत्र पहले बार प्राप्त होने पर सभी प्रकार से पूर्ण न रहा तो वह दिनांक जब वह पूरा किया गया .....

5. प्रार्थी का नाम और पूरा पता .....

6. उस भूमि का ब्यौरा जिसके लिये प्रार्थना पत्र दिया गया हो :–

   (क) तहसील (ख) परगना

   (ग) ग्राम (घ) प्लाट नं.

   (घ) क्षेत्रफल :

7. भूमि का कुल क्षेत्रफल :

8. उन खनिजों का विवरण उन्हें प्रार्थी खनन करने का इच्छुक है :

9. चालान संख्या और दिनांक सहित भुगतान किया गया प्रार्थना –पत्र शुल्क और जमा किया गया प्रारंभिक व्यय :

10. प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर :

11. उस अन्तिम आज्ञा की संख्या और दिनांक जब प्रार्थना–पत्र निस्तारित किया गया :

12. दी गई आज्ञा का संक्षिप्त विवरण :

13. प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर :

14. अभ्युक्तियां :

प्रपत्र एम.एम. 3

खनन पट्टे का आदर्श (Model) प्रपत्र – (नियम–14)

यह अनुबन्ध आज .....दिनांक.....

को ..... उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे "राज्य–सरकार" कहा गया है, जिस पदावलि में यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती भी सम्मिलित समझे जायेंगे) एक पक्ष और .....

यदि पट्टेदार एक विशेष व्यक्ति हो : (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय) (जिसे आगे "पट्टेदार) कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेंगे) दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार एक से अधिक व्यक्ति हो : (व्यक्ति का नाम तथा पता और व्यवसाय) तथा ..... (व्यक्ति का नाम तथा पता और व्यवसाय) जिन्हें आगे "पट्टेदार" कहा गया है जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो,उनके अपने–अपने दायाद, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेंगे, दूसरा पक्ष)

यदि पट्टेदार कोई रजिस्ट्रीकृत फर्म हो : (भागीदार का नाम और) आत्मज ....निवासी ..... जो सभी भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का ऐक्ट सं 9) के अधीन निबन्धित फर्म (फर्म का नाम) के नाम और रूप से अपनी भागीदारी में कार बार कर रहे है और जिसका रजिस्टीकृत कार्यालय .... नगर में ..... पर है।) (जिन्हें आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उक्त समस्त भागीदार, उनके अपने–अपने दायाद, निष्पादक और विधिक प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेंगे) दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार रजिस्ट्रीकृत कम्पनी हो :– (कम्पनी का नाम) ..... (अधिनियम जिसके अधीन निगमित है, के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .....में है, (पता) (जिसे आगे "पट्टेदार कहा गया है, जिस पदावलि में, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उनके उत्तराधिकारी भी सम्मिलित समझे जायेंगे)। दूसरा पक्ष।

चूंकि पट्टेदार/पट्टेदारों ने उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली 1963 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) के अनुसार राज्य सरकार को निम्नलिखित अनुसूची के भाग–1 में वर्णित भूमि ..... एकड़ के निमित्त खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र दिया है और उसने/उन्होंने राज्य सरकार के पास ..... रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में तथा ..... रुपये की धनराशि खनन पट्टे के हेतु आरम्भिक व्ययों की पूर्ति के लिये जमा कर दी है।

यह इस बात का साक्ष्य है कि उपस्थापन पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रक्षित और उनमें दिये गये और पट्टेदार/पट्टेदारों की ओर से भुगतान किये जाने वाले पालन और सम्पादन किये जाने वाले, किरायों स्वामित्वों, प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के प्रतिफल में राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों, को निम्नलिखित प्रदान और पट्टान्तरित करती है ..... (यहां खनिज या खनिजों का उल्लेख कीजिये) (जिन्हें आगे अभिदिष्ट अनुसूची में "उक्त खनिज" कहा गया है) की समस्त खाने, तल्प (Beds) सदरसीम्स (Viens) जो अनुसूची के भाग–1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थिति हो, पड़ी हो या हों, उन स्वतंत्रताओं या अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के साथ जिनको इसके संबंध में, उन निबंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुये प्रयोग या उपयोग किया जायेगा, जो ऐसी स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हों ..... सिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्रतायें, अधिकार तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्टान्तरित हो जायेंगे। दिनांक ..... 19... से ..... वर्ष की आगामी अवधि के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों का एतद्द्वारा दिये और पट्टान्तरित ऐसे भू–गृहादि धारण करना, जिसमें खनिज निकलने लगे और

राज्य सरकार को उक्त अनूसूची के भाग – 2 में उल्लिखित कई किरायों और स्वामित्वों का भुगतान उसमें विनिर्दिष्ट भिन्न–भिन्न समयों पर होने लगे किन्तु प्रतिबंध यह है कि ऐसा उक्त भाग में उपबंधों के अधीन हो, और, पट्टेदार एतद्द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है / करते हैं और राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/ पट्टेदारों के साथ प्रसंविदा करती है जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्त है;

और, एतद्द्वारा इसके साथ दिये गये पक्षों के बीच में परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग–3 में अभिव्यक्त है।

(उपर अभिदिष्ट अनुसूची)

भाग–1

इस पट्टे का क्षेत्रफल

पट्टे का क्षेत्रफल और स्थान ..... जो जिला .....
वह समस्त भूखण्ड..... तहसील .....और .....
थाना..... के अन्तर्गत (परगना) ..... में स्थान .....
(क्षेत्रअथवा क्षेत्रों का विवरण) ..... स्थित है और जिसकी भूकर सर्वेक्षण संख्या
..... है तथा, जिसमें ..... क्षेत्र है, जो यहां संलग्न
नक्शे में विन्हित है और उसे ..... से रंजित (Coloured) किया गया है और
जिसकी सीमायें निम्नलिखित हैं :–

उत्तर में .....

दक्षिण में .....

पूर्व में .....

पश्चिम में .....

एतदपश्चात जिसे "उक्त भूखण्ड" कहा गया है।

भाग – 2

इस पट्टे द्वारा आरक्षित अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व

अपरिहार्य भाटक या स्वामित्व का, जो इनमें से अधिक हो, भुगतान करना –

(1) पट्टेदार पट्टे के प्रत्येक वर्ष के लिये प्रत्येक खनिज के संबंध में, इस भाग के खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट अपरिहार्य भाटक का वार्षिक भुगतान करेगा :

प्रतिबंध यह है कि पट्टेदार प्रत्येक खनिज के संबंध में अपरिहार्य भाटक या स्वामित्व का, जो धनराशि इसमें से अधिक हो, देनदार होगा, किन्तु दोनों का नहीं।

(2) **अपरिहार्य भाटक की दर और उसका भुगतान करने की रीति :**

इस भाग के खंड (1) के उपबंध के अधीन रहते हुये पट्टे की अवधि में पट्टेदार राज्य सरकार को इस अनुसूची के भाग–1 में वर्णित और पट्टान्तरित (demised) भूमि के प्रति खनिज प्रति

एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक निम्नलिखित दर/दरों पर या ऐसी संशोधित दर/दरों पर भुगतान करेगा/करेंगे जो पट्टेदार/पट्टेदारों को राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप से संसूचित किया जायेगा/किये जायेंगे :–

● खनिज का नाम	प्रति एक निर्धारित किया गया अपरिहार्य भाटक	पट्टान्तरित भूमि का क्षेत्रफल	देय अपरिहार्य भाटक	एक वर्ष में देय कुल अपरिहार्य भाटक
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

● (यहां पर रीति, जिसके अनुसार और वह समय जब अपरिहार्य भाटक का भुगतान किया जाना चाहिये, लिखिये)

अपरिहार्य भाटक का राज्य सरकार के प्रति भुगतान पट्टा वर्ष के पूरा होने के एक माह के भीतर उस जिले के मुख्यालय के राजकीय कोषगार में, जिसमें धृत पट्टा स्थित हो, ऐसे लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा करके, जैसा कि समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रति वर्ष किया जायेगा।

(3) **स्वामित्व की दर और उसके भुगतान की रीति :**

इस भाग के खण्ड (1) के नियमों के उपबन्धों रहते हुये पट्टेदार पट्टे की अवधि में राज्य सरकार को ऐसे समयों पर और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार विहित करे, पट्टे पर दिये हुये क्षेत्र से उसके/उनके द्वारा हटाया गया/ हटाये गये किसी खनिज/किन्हीं खनिजों के संबंध में उक्त नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दर पर स्वामित्व का भुगतान करेगा/करेंगे।

▲ (4) **साधारण बालू, मोरम, बजरी एवं बोल्डर की पट्टा धनराशि की दर एवं भुगतान की रीति :**

साधारण बालू एवं मोरम के पट्टेदार पट्टे के आगामी वर्षों में पट्टा धनराशि पूर्ववर्ती वर्ष में भुगतान की गई धनराशि से 10 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से जमा करेगा। साधारण बालू, बजरी, बोल्डर जो मिली–जुली अवस्था में हो, के पट्टेदार पट्टे के आगामी वर्षों में पट्टा धनराशि का भुगतान पूर्ववर्ती वर्ष में भुगतान की गई धनराशि से 25 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से करेगा। यदि पट्टा क्षेत्र से हटाये गये खनिज पर देय रायल्टी पट्टा धनराशि से अधिक आती है तो पट्टेदार द्वारा उस धनराशि का भुगतान करना होगा जो इनमें से अधिक होगी। (▲21 वां संशोधन)

(5) अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व कटौती आदि मुक्त होंगे :

इस भाग में उल्लिखित अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व का भुगतान बिना किसी कसौटी के राज्य सरकार को ..... पर और ऐसी रीति से किया जायेगा, जो राज्य सरकार विहित करे।

(6) स्वामित्व के संगणन की रीति :

उक्त स्वामित्वों के संगणन करने के प्रयोजनों के लिये पट्टेदार खान से संग्रह किये गये खनिज/खनिजों का और उसको/उनको भेजने की रीति का सही-सही लेखा रखेगा, जिसमें वह ये परिवहन की प्रणाली, वाहन की निबंधन संख्या, वाहन के प्रभारी व्यक्ति, वाहन द्वारा परिवहन किये गये खनिज/खनिजों का विवरण और परिमाण का उल्लेख करेगा/करेंगे, जो एम.एम 11 में पास जारी करेगा और ऐसे अन्य विवरणों का उल्लेख करेगा/करेंगे, जो राज्य सरकार का सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे। नियम 66 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार नियमावली के अधीन समय-समय पर प्राधिकृत करे, स्टाक में रखे गये और निर्यात किये जाने वाले या प्रपत्र एम एम 11 में उल्लिखित खनिज/खनिजों के लेखा उसके/उनके भार का परिमाण की जांच कर सकता है। पट्टेदार प्रति वर्ष जिला अधिकारी और भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्ववर्ती तिमाही के पन्द्रह दिनों के भीतर जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल में प्रपत्र एम.एम. 12 में तिमाही विवरणी प्रस्तुत करेगा और यदि विवरणी नियत समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है तो पट्टेदार चूक के प्रत्येक अवसर पर 400.00 रुपये (चार सौ रुपये) की धनराशि का भुगतान करेगा।

(7) प्रपत्र एम.एम. 11 का भुगतान के आधार पर दिया जाना :

पट्टेदार, जिला अधिकारी के कार्यालय से प्रपत्र एम.एम. 11 की पुस्तिका, जैसा नियमावली के नियम 70 के (1) के अपेक्षित है, भुगतान करने पर प्राप्त करेगा/करेंगे।

(8) नियत समय पर भाटक, स्वामित्व आदि का भुगतान न करने पर कार्यवाही :

यदि पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा इस उपस्थापन पत्र के निबंधनों और शर्तों के अधीन किसी भाटक, स्वामित्व या राज्य सरकार को देय किसी अन्य धनराशि का भुगतान विहित समय के भीतर नहीं किया जाता है तो वह ऐसे अधिकारी के प्रमाण पत्र पर, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उसी प्रकार से वसूल की जा सकेगी, जिस प्रकार से मालगुजारी का बकाया वसूल की जाती है।

भाग – 3

सामान्य उपबन्ध

(1) **नियमों, प्रसंविदाओं और शर्तों के भंग करने पर पट्टा समाप्त किया जा सकता है :**

यदि पट्टेदार उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के किसी नियम या इस पट्टे की किसी प्रसंविदा और शर्त को भंग करे/करे तो राज्य सरकार पट्टा समाप्त कर सकती है और प्रतिभूति जमा को पूर्णतः या अंशतः जब्त कर सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्टा समाप्त किये जाने के पूर्व पट्टेदार/पट्टेदारों को उक्त शर्त भंग करने का स्पष्टीकरण देने के लिये युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा। यदि पट्टेदार यथास्थिति, इस नियमावली या इस पट्टे के अधीन किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से क्षुब्ध है तो वह/वे इस नियमावली के नियम 77 और 78 के अधीन अपील/पुनरीक्षण दायर कर सकता है।

(2) **पट्टेदार, पट्टे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्तियों को हटायेगा/हटायेंगे :**

पट्टेदार इस उपस्थापन पत्र (प्रजेन्टेशन) के आधार पर देय किराये और स्वामित्वों का पहले भुगतान और उन्मोचन कर चुकने पर, उक्त अवधि की समाप्ति पर या उसके शीघ्रतर समाप्ति पर या तत्पश्चात तीन कलेण्डर मास के भीतर (जब तक पट्टा इस भाग के खण्ड (1) के अधीन समाप्त न कर दिया जाय, और उस दशा में किसी समय ऐसी समाप्ति के पश्चात कम से कम एक कलेण्डर मास में और अधिक से अधिक तीन कलेण्डर मास में) अपने लाभ के लिये ऐसे सभी या किसी इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन संरचनाओं और अन्य निर्माण कार्य, परिनिर्माण (एरेक्शन्स) और अस्थायी आवास–स्थानों को उखाड सकता है/सकते हैं और हटा सकता है/सकते हैं, जो उक्त भूमि में या उस पर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा खनन किया गया हो, खडे किये गये हों, स्थापित किये गये हों या रखे गये हों और जिन्हें पट्टेदार, राज्य सरकार को देने के लिये बाध्य नहीं है/हैं और जिन्हें राज्य सरकार खरीदने के लिये इच्छुक न हो।

(3) **पट्टे की समाप्ति के पश्चात तीन मास के अधिक समय तक छोड़ी गई सम्पत्ति की जब्ती :**

यदि उक्त अवधि की समाप्ति या उसके शीघ्रतर समाप्ति के पश्चात, तीन कलेण्डर मास के अन्त में, उक्त भूमि में या उस पर कोई इंजन, मशीन, संयत्र, भवन, संरचनायें तथा अन्य निर्माण कार्य परिनिर्माण और अस्थायी आवास–स्थान या अन्य सम्पत्ति रहे तो उनके संबंध में, यदि वे ऐसे लिखित नोटिस देने के पश्चात जिसमें जिला अधिकारी द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों से उन्हें हटाने की अपेक्षा की गई हो, एक कलेण्डर मास के भीतर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा न हटाये जाय, यह समझा जायेगा कि वे राज्य सरकार की सम्पत्ति हो गई है और किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना या उसके संबंध में पट्टेदार/पट्टेदारों को कोई हिसाब दिये बिना, उनकी बिक्री करके निस्तारण ऐसे रीति से किया जा सकता है, जो राज्य सरकार उचित समझे।

(4) **ठेकेदार के माध्यम से स्वामित्व और अरिहार्य भाटक की वसूली करना :**

यदि राज्य सरकार इस प्रकार निदेश दे, तो पट्टेदार इस उपस्थापन–पत्र द्वारा संरक्षित

स्वामित्वों और अरिहार्य भाटक का भुगतान स्वामित्व की वसूली करने वाले ठेकेदार को राज्य सरकार द्वारा नियम रीति से ऐसी अवधियों में करेगा, जो विनिर्दिष्ट की जायें।

(5) **नोटिसें :**

इस उपस्थान पत्र द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को दिए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नोटिस उक्त भूमि पर रहने वाले ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में दिया जाएगा, जिसे पट्टेदार ऐसी नोटिस प्राप्त करने के लिए नियुक्त करे/करें और यदि इस प्रकार कोई नियुक्ति न की गयी हो ऐसी प्रत्येक नोटिस पट्टेदार/पट्टेदारों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा पट्टे में उसके/उनके अभिलिखित पते पर या भारत में ऐसे अन्य पते पर भेजी जाएगी, जिस पट्टेदार समय-समय पर लिखित रूप में राज्य सरकार को नोटिसों को प्राप्त करने के लिए दे/दें और प्रत्येक ऐसी तामील पट्टेदार/पट्टेदारों पर उचित और वैध तामील समझी जाएगी और उसके सम्बन्ध में उसके/उनके द्वारा न तो आपत्ति की जाएगी और न उसे चुनौती दी जाएगी।

(6) **स्टाम्प शुल्क :**

स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टान्तरित भूमि से पूर्वानुमानित स्वामित्व प्रतिवर्ष..... रुपये है।

इसके साक्ष्य के रूप में उपस्थापन पत्र– एतद्धीन आयी हुई रीति से ऊपर उल्लिखित दिन और वर्ष को निष्पादित किया गया है।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से—

1–

2–

3–

की उपस्थिति में ..... द्वारा हस्ताक्षरित

1–

2–

की उपस्थिति में पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा हस्ताक्षरित।

प्रपत्र एम. एम. 4

खनन पट्टों का रजिस्टर– (नियम 20)

1– क्रम संख्या .....

2– पट्टेदार का नाम .....

3– पट्टेदार का निवास स्थान और पूरा पता .....

4– प्रार्थना–पत्र का दिनांक .....

5– (क) पट्टा देने की आज्ञा की संख्या और दिनांक .....

(ख) खनन पट्टे के निष्पादन का दिनांक .....

6– भूमि का ब्यौरा .....

(क) तहसील .....

(ख) परगना .....

(ग) ग्राम .....

(घ) प्लाट नं. .....

(ड) क्षेत्रफल .....

7– कुल क्षेत्र, जिसके लिए पट्टा दिया गया हो .....

8– खनिज जिसके/जिनके लिए पट्टा दिया गया हो .....

9– निश्चित अपरिहार्य भाटक .....

(क) खनिज .....

(ख) प्रति एकड़ अपरिहार्य भाटक .....

(ग) कुल अपरिहार्य भाटक .....

10– पट्टा प्रारम्भ होने का दिनांक .....

11– अवधि, जिसके लिए पट्टा दिया गया हो .....

12– प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर .....

13– ऐसे परिवर्तन के ब्यौरों के साथ परिवर्तन का दिनांक, जो खनन पट्टे धारक के नाम, राष्ट्रिकता या अन्य विवरण के सम्बन्ध में हो .....

14– पट्टे का परित्याग (relinquishment) या समाप्ति का दिनांक .....

15– प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर .....

16– अभ्युक्तियाँ .....

प्रपत्र— एम.एम. 5

(संशोधन– 17)

नीलाम पट्टों के लिए विज्ञाप्ति क्षेत्रों का रजिस्टर– (नियम 25)

नीलाम/निविदा/नीलाम एवं निविदा पट्टे के लिए घोषित क्षेत्रों का रजिस्टर :

1– क्रम संख्या .....

2– क्षेत्र या क्षेत्रों की घोषणा का आदेश संख्या .....

3– घोषणा का दिनांक .....

4– तहसील .....

5– परगना (प्लाट) संख्या.....

6– ग्राम .....

7– गाटा (प्लाट) संख्या.....

8– क्षेत्रफल .....

9– प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर .....

10– नीलाम/निविदा/नीलाम एवं निविदा द्वारा पट्टा पर देने से वापस लेना .....

(क) आदेश संख्या .....

(ख) आदेश का दिनांक .....

(ग) प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर .....

प्रपत्र– एम.एम. 6

खनन के लिए नीलाम पट्टे का आदर्श प्रपत्र – (नियम 29)

यह अनुबन्ध आज .....दिनांक .....19 .....को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे "राज्य सरकार" कहा गया है, जिस पदावधि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती भी समझे जायेगें), एक पक्ष और .....

.....

.....

यदि पट्देदार व्यक्ति विशेष हो : (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) (जिस आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेगें) दूसरा पक्ष .....

.....

.....

यदि पट्टेदार एक से अधिक हों :– (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) तथा .....

.....

.....(व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) (जिन्हें आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उनके अपने–अपने दायाद, निष्पादक प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेगें)

.....

.....

यदि पट्टेदार निबद्ध फर्म हो : (भागीदार का नाम और पता) आत्मज .....

निवासी.....आत्मज.....निवासी .....

जो सभी इण्डियन पार्टनरशिप एक्त, 1932 (एक्ट संख्या 9, 1932) के अधीन निबन्धित फर्म .....

(फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं और जिसका निबद्ध कार्यालय.....

..... नगर में .....पर है, (जिन्हें आगे "लाइसेन्सधारी" कहा गया है), (जिस पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उक्त समस्त भागीदार, उसके अपने–अपने दायाद, निष्पादक तथा विधिक प्रतिनिधि भी समझे जायेगें)

यदि पट्टेदार निबद्ध कम्पनी हो : .....

(कम्पनी का नाम) जो ..... (एक्ट, जिसके अधीन निगमित है) के अधीन निबद्ध कम्पनी है और जिसका कार्यालय ..... में है (पता) निबद्ध जिसको आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उत्तराधिकारी भी समझे जायगें) दूसरे पक्ष के बीच किया गया।

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) के अनुसार किये गऐ नीलाम में पट्टेदार/पट्टेदारों को बोली का .....रु. राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे के लिए ..... वर्ष/वर्षों के निमित्त एतद्धीन लिखित अनुसूची के भाग–1 में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में ..... एकड़ों के लिए स्वीकार कर लिया गया है और उसने/उन्होंने प्रतिभूमि स्वरूप .....रुपये की धनराशि राज्य सरकार के पास जमा कर दी है।

यह इसका साक्ष्य है कि इस उपस्थापन–पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रक्षित और उसमें दिए गये और पट्टेदार/पट्टेदारो की ओर से भुगतान किए जाने वाले, पालन तथा सम्पादन किए जाने वाले स्वामित्वों, प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के प्रतिफल में राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को निम्नलिखित प्रदान और पट्टान्तरित करता है।

.....(यहां खनिज/खनिजों का उल्लेख किया जाये) जिन्हें आगे और अभिदिष्ट अनुसूची में "उक्त" "खनिज" कहा गया है), की समस्त खन, तल्प (beds) संदर सीम्स (veins seams)] जो उक्त अनुसूची के भाग–1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थित हो, के साथ, जिसके सम्बन्ध में उन प्रतिबन्धों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोग या उपयोग किया जाएगा जो ऐसी स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हों ..... सिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्रताओं, अधिकार तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्टान्तरित हो जायेगें। दिनांक ..... 19 ..... से ..... वर्ष की आगामी अवधि के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों को एतद्द्वारा दिए गए और पदान्तरित ऐसे भू–गृहादि धारण करना, जिनसे खनिज निकलने लगे और राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के भाग–2 में उल्लिखित स्वामित्वों का भुगतान उसमें निर्दिष्ट भिन्न–भिन्न समयों पर होने लगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा उक्त भाग के उपबन्धों के अधीन हो और पट्टेदार एतद्द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है/ करते हैं, और राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ प्रसंविदा करती है, जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्ति है और एतद्द्वारा इसके साथ दिए गए पक्षों के बीच परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग–3 में अभिव्यक्ति है।

(ऊपर अभिदिष्ट अनुसूची)

भाग–1

इस पट्टे का क्षेत्र

पट्टे का स्थान ओर क्षेत्र : वह समस्त भू–खण्ड, जो जिला ..... की तहसील ..... और थाना ..... के अन्तर्गत परगना ..... में स्थान ..... पर (क्षेत्र तथा क्षेत्रों का विवरण) स्थित है और उसकी भू–कर सर्वेक्षण संख्यायें ..... हैं

तथा जिसमें ..... क्षेत्रफल है, और जिसका चित्रण इसमें संलग्न नक्शे में किया गया और उसे रंजित (coloured) किया गया है और जिसकी सीमायें निम्नलिखित हैं :

उत्तर में .....

दक्षिण में .....

पूर्व में .....

तथा

पश्चिम में .....

और जिस एतद्द्वारा "उक्त भू–खण्ड" कहा गया है।

भाग–2

इस पट्टे द्वारा संरक्षित स्वामित्व

स्वामित्व की धनराशि : (1) पट्टेदार, इस पट्टे की अवधि में राज्य सरकार को पट्टे पर दिए गये क्षेत्र में उसके/उनके द्वारा हटाये गये सभी ..... के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्वामित्व का भुगतान करेगा/करेंगे .....

किश्तों की संख्या	धनराशि	दिनांक, जब किश्त दिया जाएगा
1	2	3

स्वामित्व कटौती आदि से मुक्त होगा : (2) (इस भाग में उल्लिखित स्वामित्व की किश्तों का भुगतान बिना किसी कटौतियों के राज्य सरकार को ..... पर सरकारी कोषागार में जमा करके किया जाएगा तथा चालान की एक प्रति जिला अधिकारी को भेजी जाएगी।

स्वामित्वों का समय पर भुगतान न किया जाये तो कार्यवाही की प्रक्रिया : (3) यदि इस उपस्थापन–पत्र (presents) की शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन राज्य सरकार को देय स्वामित्व की किसी किश्त का भुगतान पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा नियत समय के भीतर न किया जाये तो उसे ऐसे अधिकारी के, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशिष्ट आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट करे, प्रमाण–पत्र पर उसी रीति से वसूल की जा सकेगी है जैसे मालगुजारी का बकाया।

भाग–3

सामान्य उपबन्ध

नियमों प्रसंविदाओं और शर्तों को भंग करने पर पट्टा समाप्त किया जा सकता है : (1) यदि पट्टेदार उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के किसी नियम या इस पट्टे की किसी प्रसंविदा तथा किसी शर्त को भंग करे तो राज्य सरकार पट्टा समाप्त कर सकती है और प्रतिभूति जमा की पूर्णतः या अंशतः जब्त

कर सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्टा समाप्त किये जाने के पूर्व पट्टेदार/पट्टेदारों को उन्हें भंग करने का स्पष्टीकरण देने के लिए यथोचित अवसर दिया जाएगा।

पट्टेदार पट्टे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्तियों को हटायेगा/हटायेगें :– (2) पट्टेदार इस उपस्थापन–पत्र के आधार पर देय स्वामित्व का पहले भुगतान और उन्मोचन कर चुकने पर उक्त अवधि की समाप्ति पर उसकी शीघ्रतर समाप्ति पर या तत्पश्चात् तीन कलेण्डर मास के भीतर (जबतक कि पट्टा इस भाग के खण्ड–1 के अधीन समाप्त न कर दिया जाए और उस दशा में किसी समय ऐसी समाप्ति के पश्चात कम से कम एक कलेण्डर मास में) और अधिक से अधिक तीन कलेन्डर मास में अपने लाभ के लिए ऐसे सभी या किसी मशीन, संयत्र, भवन, संरचनायें और अन्य निर्माण कार्य और अस्थाई आवास स्थानों (conveniences) को उखाड़ सकता है/सकते हैं और हटा सकता है/सकते हैं, जो उक्त भूमि में या उस पर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा रखे गये हो।

पट्टे की समाप्ति के पश्चात तीन मास से अधिक समय ते छोड़ी गयी सम्पत्ति की जब्ती :– (3) यदि उक्त अवधि की समाप्ति या उसके शीघ्रतर समाप्ति के प्रभावी होने के पश्चात् तीन कलेण्डर मास के अन्त में उक्त भूमि में या उस पर कोई इंजन, मशीन, संयत्र, भवन, संरचनायें तथा अन्य निर्माण कार्य और अस्थाई आवास स्थान या अन्य सम्पत्ति रहे तो उनके सम्बन्ध में, यदि वे ऐसे लिखित नोटिस देने के पश्चात् जिसमें जिला अधिकारी द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों से उन्हें हटाने की अपेक्षा की गई हो एक कलेन्डर मास के भीतर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा न उठाये जायें, तो यह समझा जाएगा कि वे राज्य सरकार की सम्पत्ति हो गई है और किसी प्रतिकर का भुगतान किए बिना या उसके सम्बन्ध में पट्टेदार/पट्टेदारों को कोई हिसाब दिए बिना उनकी बिक्री या निस्तारण ऐसी रीति से किया जा सकता है जो राज्य सरकार उचित समझे।

नोटिस :– (4) इस उपस्थापन–पत्र द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को दिए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नोटिस उक्त भूमि पर रहने वाले ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप से दिया जाएगा, जिस पट्टेदार ऐसे नोटिस प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए नियुक्त करे/करें, और यदि इस प्रकार कोई नियुक्ति न की गयी हो तो ऐसा प्रत्येक नोटिस पट्टेदार/पट्टेदारों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा इस पट्टे में उसके/उनके अभिलिखित पते पर या भारत में ऐसे पते पर भेजा जाएगा जिसे पट्टेदार समय–समय पर लिखित रूप में राज्य सरकार को नोटिसों की प्राप्त करने के लिए दे/दें और प्रत्येक ऐसी तामील पट्टेदार/पट्टेदारों पर उचित तथा वैध तामील समझी जाएगी और उसके सम्बन्ध में उसके/उनके द्वारा न तो आपत्ति की जाएगी और न उसे उपाहृत (challenged) किया जाएगा।

स्टाम्प शुल्क : (5) स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टान्तरित भूमि से प्रत्याशित स्वामित्व प्रति वर्ष ____ रु. है।

इनके साक्ष्य के रूप में यह उपस्थापनपत्र एतद्धीन आई हुई रीति से ऊपर उल्लिखित दिनांक और वर्ष को निष्पादित किया गया है।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से

1–

2–

3–

1–

2–

की उपस्थिति में पट्टेदार द्वारा हस्ताक्षरित।

प्रपत्र–एम.एम. 7 (संशोधन–17)

नीलाम / निविदा / नीलाम एवं निविदा पट्टा का रजिस्टर– (नियम–30)

1– क्रम संख्या .....

2– भूमि का विवरण .....

(क) तहसील .....

(ख) परगना .....

(ग) ग्राम .....

(घ) गाटा (प्लाट) संख्या .....

(ङ) क्षेत्रफल .....

3– भूमि का कुल क्षेत्रफल .....

4– खनिज या खनिजों का नाम .....

5– पट्टेदार का नाम .....

6– पट्टेदार का पूरा पता .....

7– पट्टा प्रारम्भ होने का दिनांक .....

8– पट्टा अवसान होने का दिनांक .....

9– स्वामित्व की कुल धनराशि .....

10– प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर .....

11– अभियुक्ति .....

प्रपत्र–एम.एम. 8

खनन अनुज्ञा–पत्र के लिए प्रार्थना–पत्र (नियम–52)

(तीन प्रतियों में देना है)

स्थान ..... दिनांक .....19.....

समय ..... बजे

दिनांक ..... को प्राप्त हुआ

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के अधीन खनन अनुज्ञा–पत्र दिया जाये।

(2) इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में देय शुल्क .....रु. जमा कर दिया गया है।

(3) अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :–

(1) प्रार्थी का नाम और पूरा पता .....

(2) क्या प्रार्थी अशासकीय व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/ फर्म या संघ है .....

(3) यदि प्रार्थी .....

(क) व्यक्ति विशेष है तो उसकी राष्ट्रीकता .....

(ख) निजी कम्पनी है, तो कम्पनी के सभी सदस्यों की राष्ट्रियता और उसके निबंधन का स्थान .....

(ग) सार्वजनिक कम्पनी है तो निदेशकों की राष्ट्रियता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अंश पूंजी का प्रतिशत तथा उसके निगमन का स्थान .....

(घ) फर्म या संघ है तो फर्म के सभी भागीदारों या संघ के सभी सदस्यों की राष्ट्रियता .....

(4) प्रार्थी का व्यवसाय या उसके कारोबार का प्रकार .....

(5) खनिज, जिसे/जिन्हें प्रार्थी खनन करना चाहता हो :

(क) खनिज का नाम .....

(ख) जितना खनन किया जाना हो उसकी कुल मात्रा .....

(6) अवधि जिसके लिए खनन अनुज्ञा–पत्र अपेक्षित है

(7) उस क्षेत्र का ब्यौरा, जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञा–पत्र अपेक्षित है :

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	क्या रिक्त है या किसी द्वारा धृत है और यदि धृत है तो उसके ब्यौरे

ग्राम : क्षेत्रों की दशा में ग्राम का नाम, और यदि ग्राम के केवल एक भाग के लिये प्रार्थना–पत्र दिया गया हो, तो खसरा (ग्राम) संख्या, प्रत्येक ऐसे खेत या उसके भाग का, जिसके लिये प्रार्थना–पत्र दिया गया हो, हेक्टर में क्षेत्रफल .....

(8) वन क्षेत्रों की दशा, में कार्यवृत्ति (वार्किंग सर्किल) का नाम, वनराजि (range) और पातन श्रेणियों (felling series) यदि कोई हों, वन में ज्ञात और सीमांकित क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्षेत्र का विवरण तथा एकड़ों में विस्तार (लगभग)।

(9) भू–कर सर्वेक्षण के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की दशा में, धरातल मानचित्र में निश्चित स्थानों के हवाले से क्षेत्र के प्रारम्भिक स्थल का विवरण और सीमा–रेखा की रेखीय दूरियां और उसके धरातल मानचित्र में दिए गये क्षेत्र के तदनुरूप यथासम्भव ठीक–ठीक दिक्स्थिति (4" = 1 मील पैमाना)।

(10) रीति जिसके अनुसार संग्रह किय गए खनिज का उपयोग किया जाएगा।

(11) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन।

(12) ऊपर 2 पर उल्लिखित धनराशि के लिए संलग्न रसीद वाले कोषागार चालान आदि के विवरण ।

(13) कोई अन्य विवरण या रेखा मानचित्र जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत करना चाहें।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दिए गये विवरण ठीक हैं और मैं/हम कोई अन्य ब्यौरे देने को तैयार हूं/हैं, जो आपके द्वारा अपेक्षित हैं।

स्थान .....

दिनांक .....

भवदीय,

प्रार्थी के हस्ताक्षर

अवधेय :– यदि प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी के प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जायें तो अभिकरण पत्र (power of Attorney) संलग्न किया जाना चाहिये।

प्रपत्र–एम.एम 9

खनन अनुज्ञा–पत्रों के लिए प्रार्थना – पत्र का रजिस्टर– (नियम–56)

(1) क्रम संख्या .....

(2) खनन–अनुज्ञा–पत्र के लिए प्रार्थना–पत्र का दिनांक .....

(3) खनिज का नाम .....

(4) जिस क्षेत्र के लिए प्रार्थना–पत्र दिया गया हो :

(क) तहसील .....

(ख) परगना .....

(ग) ग्राम .....

(घ) प्लाट संख्या .....

(ङ) क्षेत्रफल .....

(5) प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर .....

(6) अनुज्ञा–पत्र न देने या देने की आज्ञा का दिनांक
और प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर .....

(7) यदि अनुज्ञा–पत्र दिया जाये तो उसके ब्यौरे :

(क) दिया गया कुल क्षेत्र :

(ख) अनुज्ञप्त खनिज की कुल मात्रा :

(ग) अवधि जिसके लिए दिया गया हो

(घ) कुल स्वामित्व की धनराशि

(ङ) चालान संख्या सहित स्वामित्व जमा करने का दिनांक :

(च) अनुज्ञा–पत्र जारी करने का दिनांक :

(छ) अनुज्ञा–पत्र की समाप्ति का दिनांक :

(ज) प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर :

प्रपत्र – एम.एम. 10

खनन अनुज्ञा पत्र का आदर्श प्रपत्र (नियम 55)

श्री / सर्वश्री ..... को उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम 52 के अधीन ग्राम ..... में ..... (खनिज) का खनन करने के लिये अनुज्ञा–पत्र देने के निमित्त प्रार्थना–पत्र दिया है और 400 (चार सौ) रुपये का प्रार्थना–पत्र शुल्क तथा ..... रुपये प्रतिटन / घन फुट की दर से स्वामित्व का भी ..... रुपया अग्रिम भुगतान कर दिया है। एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित भूमि से ..... टन / घन फुट खनिज को, आज से ..... मास की अवधि के भीतर, निमनलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये हटाने की अनुज्ञा दी जाती है।

भूमि के ब्यौरे

तहसील	परगना	ग्राम	गाटा (प्लाट) संख्या	एकड़ों में क्षेत्रफल
1	2	3	4	5

स्थान :

दिनांक :

अनुज्ञा–पत्र देने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर और उसका पदनाम।

शर्तें :

(1) अनुज्ञा–पत्र धारक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होते ही स्वयं निश्चित करेगा।

(2) अनुज्ञा–पत्र धारक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू–गृहादि, सार्वजनिक भू–स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई बाधा न पड़े, या उसे क्षति न पहुंचे।

(3) अनुज्ञा–पत्र धारक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्त प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

दिनांक

अनुज्ञा–पत्र देने वाले अधिकारी के
हस्ताक्षर और उसका पदनाम।

प्रपत्र – एम.एम. 11

पास – प्रपत्र – (नियम – 70) (1)

(तीन प्रतियों में)

दिनांक ..... समय .....

(1) पट्टा या अनुज्ञा–पत्र धारक का नाम .....

(2) खान का स्थल .....

(3) खनिज का नाम .....

(4) खनिज की मात्रा .....

(5) गंतव्य स्थान .....

(6) परिवहन साधनों का विवरण (यदि मोटर गाड़ी हो तो उसकी निबन्धन संख्या लिखी जाये) .....

(7) पारेषण के प्रभारी व्यक्ति का पूरा नाम और पता : .....

(8) पारेषण के प्रभारी व्यक्ति के पूरे हस्ताक्षर .....

(9) पास जारी करने वाले के पूरे हस्ताक्षर.....

टिप्पणी :–

(1) प्रतिपर्ण खान में रख लिया जायेगा।

(2) पारेषण के प्रभारी व्यक्ति को दो अन्य पास दिये जायेंगे, जिसमें से एक पास को जांच करने वाले सरकारी सेवक द्वारा ले लिया जायेगा।

Geology & Mining Unit
(Directorate of Industries Uttarakhand)
E- Form MM-11

Tin No.: e- Form MM-11 No.
Lease No. Date and Time:

Owner Name:
Lease Address:

1. Type of Movement:
2. Type of Vehicle
3. Registration No. of Vehicle
4. Name of Driver
5. Mobile No. of Driver.
6. Name of Mineral
7. Weight of Mineral (In Tons)
8. Sale value/Approximate value (Before Tax)
9. Rate of Tax..... Tax (Vat or CST).....
10. Name of Purchaser
11. Tin No. of Purchaser
12. Address of Destination
13. Destination District

This form is valid up to : Date & Time (Auto generated)

Geology & Mining Unit
(Directorate of Industries Uttarakhand)
E- Form MM-11 (O/S)

Tin No.: e- Form MM-11 (O/S) No.
Lease No. Date and Time:

Owner Name:
Lease Address:

1. Type of Movement:
2. Type of Vehicle
3. Registration No. of Vehicle
4. Name of Driver
5. Mobile No. of Driver.
6. Name of Mineral
7. Weight of Mineral (In Tons)
8. Sale value/Approximate value (Before Tax)
9. Rate of Tax..... Tax (Vat or CST).....
10. Name of Purchaser
11. Tin No. of Purchaser
12. Address of Destination
13. Destination District

This form is valid up to : Date & Time (Auto generated)

Geology & Mining Unit
(Directorate of Industries Uttarakhand)
Form MM-11

Tin No.:
Lease No.

Form MM-11 No.
Date and Time:

Owner Name:
Lease Address:

1. Type of Movement:
2. Type of Vehicle
3. Registration No. of Vehicle
4. Name of Driver
5. Mobile No. of Driver.
6. Name of Mineral
7. Weight of Mineral (In Tons)
8. Sale value/Approximate value (Before Tax)
9. Rate of Tax..... Tax (Vat or CST).....
10. Name of Purchaser
11. Tin No. of Purchaser
12. Address of Destination
13. Destination District

This form is valid up to : Date & Time (Manual)

Signature of Issuing Officer

Signature of Lessee

Geology & Mining Unit
(Directorate of Industries Uttarakhand)
Form MM-11 O/S

Tin No.:
Lease No.

Form MM-11 O/S No.
Date and Time:

Owner Name:
Lease Address:

1. Type of Movement:
2. Type of Vehicle
3. Registration No. of Vehicle
4. Name of Driver
5. Mobile No. of Driver.
6. Name of Mineral
7. Weight of Mineral (In Tons)
8. Sale value/Approximate value (Before Tax)
9. Rate of Tax..... Tax (Vat or CST).....
10. Name of Purchaser
11. Tin No. of Purchaser
12. Address of Destination
13. Destination District

This form is valid up to : Date & Time (Manual)

Signature of Issuing Officer

Signature of Lessee

प्रपत्र – एम.एम. 12

त्रैमासिक विवरणी

(नियम 73 देखिये)

सेवा में,

जिला अधिकारी

.....

..... से ..... माह/वर्ष की विवरणी :–

(1) पट्टेदार/पट्टेदारों का/के नाम/पते .....

(2) पट्टे का विवरण ..... खनिज का नाम .....

(3) पट्टे की अवधि.....क्षेत्रफल ..... एकड़ों में, ग्राम ..... तहसील .....
जिला .....

(4) नियोजित श्रमिकों की संख्या ..... कुशल .....अकुशल.....

महीनों का नाम	खनिज का नाम	महीना/त्रैमास में उत्पादन	महीना/त्रैमास में भेजा गया परिमाण	स्टाक में अवशेष
1	2	3	4	5

स्वामित्व और देय स्वामित्व की नियत दर	त्रैमास में भुगतान किया गया स्वामित्व	स्वामित्व का अवशेष यदि कोई हो	अभ्युक्ति
6	7	8	9

(5) इमारती पत्थर (स्टोन) की खान की दशा में खनन योजना के अनुसार कार्य करने की रीति का संक्षिप्त उल्लेख किया जाना चाहिये और कार्य–प्रणाली की एक अद्यतन प्रति संलग्न की जानी चाहिये।

पट्टेदार/पट्टेदारों या उसके/उनके अभिकर्ता

स्थान .....

के हस्ताक्षर और मोहर

दिनांक .....

प्रतिलिपि :–

(1) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।

(2) भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रपत्र–एम.एम. 13

अपील या पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना–पत्र का आदर्श प्रपत्र (नियम 77, 78 और 79)

(1) आवेदन करने वाले व्यक्ति/व्यक्ति विशेष/फर्म या कम्पनी का नाम, पता .....

(2) व्यक्ति/व्यक्ति विशेष/फर्म या कम्पनी का व्यवसाय .....

(3) अधिकारी के आदेश की संख्या और दिनांक, जिसके विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण दायर किया जाय, (प्रतिलिपि संलग्न की जाय) .....

(4) खनिज/खनिजों का नाम, जिसके/जिनके लिए अपील/पुनरीक्षण दायर किया जाय .....

(5) क्षेत्र का विवरण जिसके लिए अपील/पुनरीक्षण आवेदन पत्र दायर किया जा रहा है :–

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	दावाकृत क्षेत्र का योग
1	2	3	4	5

(क्षेत्र/क्षेत्रों का, मानचित्र संलग्न किया जाएगा)

(6) क्या उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम 77 के उपनियम (4) में विहित फीस में से 500.00 रुपये का प्रार्थना पत्र शुल्क जमा किया गया है?

(7) क्या अधिकारी द्वारा दिये गए आदेश को संसूचित किया जाने के दिनांक के 60 दिन या 90 दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिया गया है।

(8) पक्ष/पक्षकारों के, जो बनाये गये हों, यदि कोई हों, का/के नाम और पूरा पता .....

.....

(9) याचिका की प्रतियों की संख्या जो संलग्न की गयी हों (प्रत्येक बनाये गये पक्षकार/पक्षकारों के लिए अतिरिक्त संख्या में प्रतियों को संलग्न किया जाना चाहिये) :–

(10) अपील/पुनरीक्षण के आधार :–

(क) संक्षिप्त तथ्य,

(ख) आधार,

(ग) प्रार्थना,

(11) यदि अपील/पुनरीक्षण का प्रार्थना पत्र अभिकरण पत्र धारक (The holder of power of Attorney) द्वारा दिया गया है तो अभिकरण पत्र संलग्न किया जाएगा।

स्थान ..... भवदीय

दिनांक ..... प्रार्थी के हस्ताक्षर

यदि कोई पक्षकार नहीं बनाया गया है, तो प्रार्थना पत्र तीन प्रतियों में दिया जाएगा।

यदि इनके अतिरिक्त कोई हो, तो बनाये गये प्रत्येक पक्षकार के लिए एक अतिरिक्त प्रति संलग्न की जाएगी।